मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 24 अंक : 07

मार्च 2025

मोहन कर रहे हैं प्रदेश का दोहन

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़
4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,
विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 25 अंक 07 मार्च 2025

(पृष्ठ क्र.-6)

- छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास पर दिया जा रहा है जोर 46
- भारतीयों का अमेरिका से निर्वासन विवाद 53
- अधिसंख्य आबादी तक पहुंचें सस्ती दवाइयां 56
- तेलंगाना में सुरंग में फंसे लोग मुसीबत बनती निर्माणाधीन सुरंगें 58
- **A Christian burial in Chhattisgarh: Supreme Court rules in favour of 'Hindu' Adivasis 61**

जगत विजन
PRESS
निडर होकर आईना दिखाती रहूंगी।
PRESS
विजया :)

संपादकीय

लगातार कर्ज ले रही मोहन सरकार

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार हर माह कर्ज लेकर सरकार को चला रही है। कहा जा सकता है कि सरकार कर्ज के भरोसे ही चल रही है। लगातार कर्ज लेने से सरकार पर उम्मीद से ज्यादा कर्ज हो गया है। मोहन यादव सरकार ने फिर बाजार से छह हजार करोड़ रूपए के तीन कर्ज ले लिए हैं। दो-दो हजार करोड़ रुपए के यह कर्ज 14 साल, 20 साल और 23 साल की अवधि के हैं। सरकार इसके ब्याज का भी भुगतान करेगी। इसके साथ ही मोहन सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक 47 हजार करोड़ रूपए का कर्ज ले चुकी है। इसके पहले 20 फरवरी को भी 06 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लिया गया था। चालू वित्त वर्ष में सरकार पिछले वित्त वर्ष से साढ़े चार हजार करोड़ का अधिक कर्ज ले चुकी है। अभी आने वाले पच्चीस दिनों में कुछ और कर्ज सरकार ले सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दस दिन बाद विधानसभा के बजट सत्र के पहले मोहन यादव सरकार ने फिर छह हजार करोड़ के कर्ज के लिए नोटिफिक्रेशन किया था। पिछले माह 24 और 25 फरवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पहले मोहन सरकार ने 20 फरवरी को 06 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लिया है। तीन अलग-अलग कर्ज 12 साल, 15 साल और 23 साल की अवधि के लिए लिया गया। इसके पहले वर्ष 2025 के पहले दिन एक जनवरी को सरकार ने पांच हजार करोड़ रूपए का कर्ज लिया था। मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 03 लाख 75 हजार 578 करोड़ रूपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रूपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 03 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी। इस तरह अब तक मध्य प्रदेश पर 41,000 करोड़ रूपए लोन के रूप में बकाया है। बीते चार महीने में ही मध्य प्रदेश सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपए का लोन ले लिया है।

उल्लेखनीय है कि, मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में अधोसंरचना विकास को गति देने के उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार से अधिक कर्ज लेने की अनुमति मांगी थी। सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुपात में कर्ज सीमा को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का आग्रह किया था। वर्तमान में राज्य को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत के अनुपात में कर्ज लेने की अनुमति है। मध्य प्रदेश सरकार ने अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह खर्च वर्तमान में 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में 65,000 करोड़ रूपये तक बढ़ाने की योजना है।

विजया पाठक

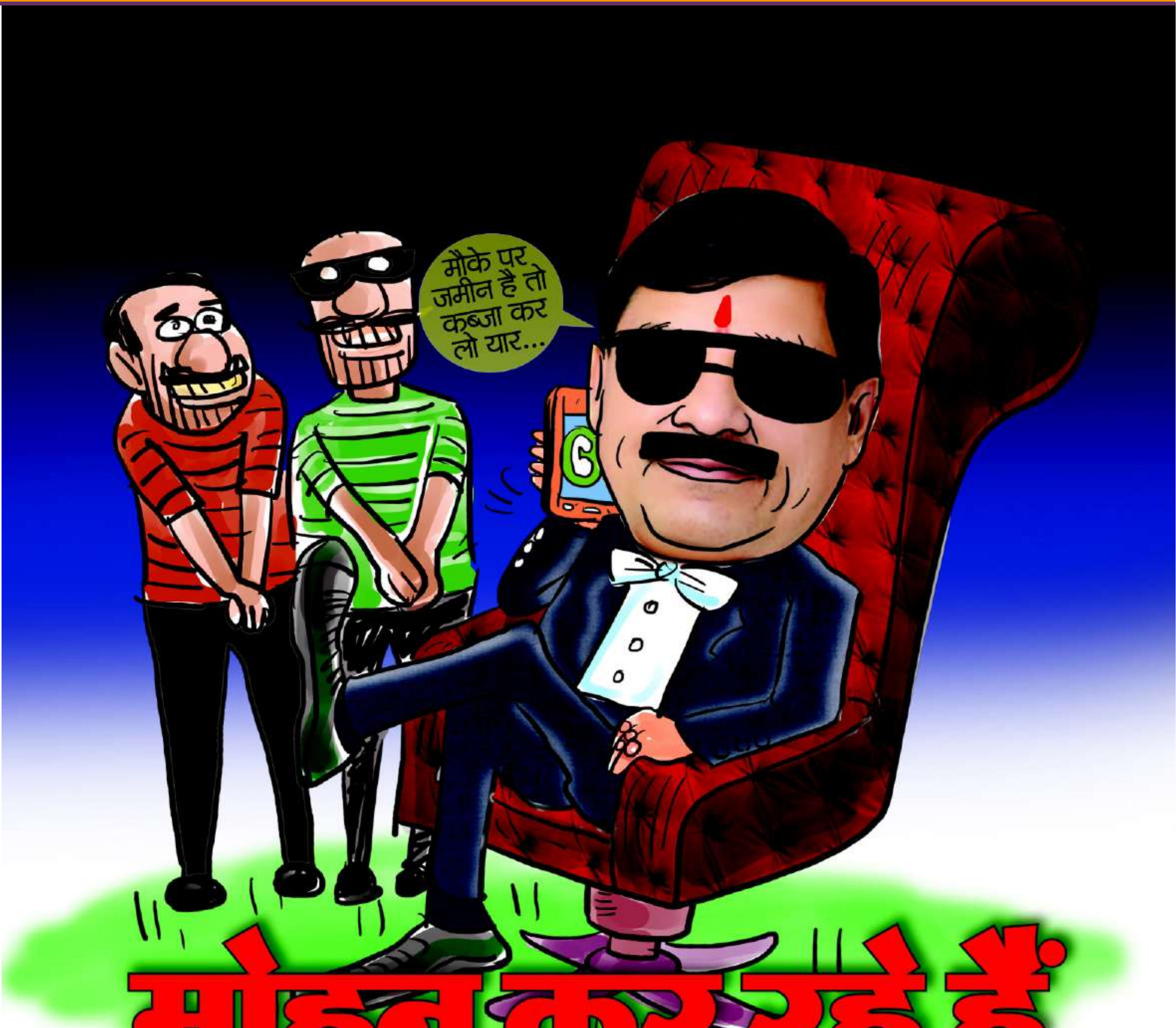

मोहन कर रहे हैं प्रदेश का दोहन

मोहन यादव को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बने लगभग 15 माह हो गये हैं। मोहन यादव के इन 15 माह के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। आमजन से लेकर प्रशासनिक स्तर तक काफी उथल-पुथल देखी जा रही है। मोहन सरकार से किसान, युवा, व्यापारी, पत्रकार, नौकरीपेशा सभी लोग परेशान हैं। लेकिन कोई सामने आकर विरोध में नहीं आ रहा है और जो सामने आ रहा है उसको मोहन यादव प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मोहन यादव के आतंक से सब वाकिफ हैं। हाल ही में जो प्रमुख मुद्दे छाये हुए हैं, उसमें पहला है जो सिंहस्थ को लेकर जमीनों की लैंड पुलिंग अधिग्रहण के नाम पर की जा रही है। किसानों द्वारा उसका घोर विरोध किया जा रहा है। सिंहस्थ-2028 क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप देने की बड़ी योजना पर काम शुरू हो गया है। सिंहस्थ की भूमि पर स्थायी कुंभ नगरी बसाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) लैंड पुलिंग स्कीम के तहत लगभग 2378 हेक्टेयर क्षेत्र में कुंभ नगरी विकसित करेगी। लेकिन स्थानीय किसान इस प्रोजेक्ट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट बिल्डर्स और सत्ता में बैठे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। स्थायी कुंभ नगरी पर 02 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दूसरा मुद्दा है पत्रकारिता पेशे पर हो रहे अत्याचार और अनाचार। इन दोनों प्रमुख मामलों को लेकर मुख्यमंत्री कठघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। पार्टी हाईकमान तक मोहन यादव की क्लास ली जा रही है लेकिन मोहन यादव अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उज्जैन में किसानों के विरोध का काफी बवाल मचा हुआ है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो मोहन यादव अपने हितों को साधने के चक्कर में पीछे हटने को तैयार नही हैं। वहीं, दूसरी तरफ पत्रकारों पर हो रहे जुल्मों की बात की जाये तो प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कुठाराघात किया जा रहा है। पत्रकारों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। उनकी कलम पर पहरा लगाकर परेशान किया जा रहा है। झूठे केसों पर फंसाकर जेलों में डाला जा रहा है। इसके अलावा भी भय-भ्रष्टाचार-अत्याचार और आतंक का माहौल प्रदेश में पनप चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने आप को महिमा मंडित करने में करोड़ों रूपये पानी की तरह बहा रहे हैं। फिजूलखर्ची में इनके मुकाबले कोई नहीं है। हाल ही की इंस्वेस्टर्स समिट में जो 1500 करोड़ रूपये खर्च किये हैं उसका आउटपुट क्या निकलेगा इसका किसी को कुछ पता नहीं है। भू-माफिया, शराब माफिया अपने पैर पसारे हुए हैं, प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। मोहन यादव सत्ता के मोह में सिर्फ पार्टी हाईकमान को खुश करने में लगे हैं।

विजया पाठक

उज्जैन विकास प्राधिकरण सिंहस्थ 2028 के नाम पर किसानों की 2378 हैक्टेयर जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मिलकर किसानों को गफलत में रखकर सरकारी

2378 हैक्टेयर जमीन पर कब्जा करने का मुख्यमंत्री मोहन यादव और उज्जैन प्रशासन द्वारा रचा जा रहा है षड़यंत्र

विज्ञप्ति जारी की है। यूडीए शासन के साथ मिलकर उज्जैन नगरीय क्षेत्र के किसानों की जमीनों को लैंड पुलिंग के तहत हड़पना चाहता है। किसानों को जोर-जबरदस्ती और डरा धमकाकर जमीनों को सरकार को सौंपने माहौल का बनाया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सिंहस्थ

की जमीन पर पक्के निर्माण नहीं हो सकते हैं।

गौरतलब है कि उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ का आयोजन किया जाना है। सिंहस्थ को लेकर प्रदेश सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और सिंहस्थ की तमाम व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने किसानों को जमीन अधिग्रहण करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया कोई नयी नही है। हर बार सिंहस्थ के समय स्थानीय प्रशासन कई माह पहले से उज्जैन

मुख्यमंत्री के इशारों पर यूडीए (उज्जैन विकास प्राधिकरण) कर रहा कार्यवाही

सिंहस्थ के नाम पर मोहन यादव साध रहे अपने हित

नगरीय निकाय में स्थित सिंहस्थ मेले में उपयोग की जाने वाली किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करता है। जिसके बदले में उन्हें एक तयशुदा राशि दी जाती है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं के फायदे के लिए जमीन अधिग्रहण को लैंड पुलिंग योजना में परिवर्तित करते हुए किसानों को नोटिस जारी कर दिया ताकि जितनी भी जमीन सिंहस्थ के लिये अधिग्रहित की जा रही है उसमें से केवल 50 प्रतिशत जमीन ही सिंहस्थ के बाद किसानों

किसानों की जमीनों का असली मालिक मैं हूँ...!

उज्जैन शहर के आसपास की सैकड़ों एकड़ जमीन को सिंहस्थ के नाम पर किसानों से हड़पने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। इस षड़यंत्र के मूल सूत्रधार हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और उज्जैन विकास प्राधिकरण। लैण्ड पुलिंग योजना के तहत ली जा रही जमीनों का स्थानीय किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

को वापस की जायेगी यानि अगर किसी किसान की पांच एकड़ जमीन सरकार ने लैंड पुलिंग योजना में ली है तो उसके बाद उसे केवल ढ़ाई एकड़ जमीन ही वापस मिलेगी। बची हुए जमीन पर उज्जैन विकास प्राधिकरण रेत, सीमेंट और कांक्रीट से पक्के निर्माण कार्य करेगा।

सिंहस्थ सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों की ट्रैक्टर रैली

सिंहस्थ सिटी के लिए सरकार द्वारा उत्तर और घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। इसी के विरोध में किसानों ने सामाजिक न्याय परिसर से ट्रैक्टर रैली निकाली थी। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों सिंहस्थ सिटी विकसित करने के लिए मुरलीपुरा, मोहनपुरा, सदावल, भैरवगढ़ से जुड़े कुछ क्षेत्र अंबोदिया, रातड़िया, जियापुरा और उज्जैन भीतरी क्षेत्र के करीब 2000 किसानों की हजारों बीघा जमीन अधिग्रहण करने की विज्ञप्ति जारी की। योजना को लेकर किसान प्रशासन के फैसले से नाराज हैं। किसान कल्याण समिति के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में चेनपुर, हंसखेड़ी, नरवर, कड़छा, गांवड़ी, मुंजाखेड़ी, पिपलोदा द्वारकाधीश और माधोपुरा के किसान शामिल हुए। किसानों ने बताया लगभग 2000 किसानों की 2,500 बीघा सिंचित भूमि अधिग्रहित की जा रही है, जिससे

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। लगभग 23 सौ एकड़ में सिंहस्थ का आयोजन किया जाना है। इतनी जमीन की जरुरत के लिए यूडीए किसानों की जमीनों पर नजर गढ़ा चुका है। लैण्ड पुलिंग योजना के माध्यम से जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। लेकिन किसान इसके विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं।

महाकाल की धरती पर भाजपा नेताओं का जमींन का खेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी और बहिन की जमींन सिंहस्थ से मुक्त, ताकि कॉलोनी कट सके

लगभग 15 हजार किसान और मजदूर प्रभावित होंगे। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि हमारे पास सिंचाई के सभी साधन मौजूद हैं। जमीन छिन जाने से उनकी आजीविका संकट में पड़ जाएगी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत 70 प्रतिशत किसानों की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। इस मामले में 95 प्रतिशत किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई है।

सिंहस्थ के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसान मुख्यमंत्री से मिले थे

सिंहस्थ सिटी बनाने के लिए सरकार उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से उज्जैन शहर से लगे हुए क्षेत्र की जमीनों को लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत अधिग्रहण करना चाहती है। योजना से प्रभावित किसान भोपाल में मुख्यमंत्री से भी मिले। मुख्यमंत्री ने उन्हें समझाया कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इस योजना में सिर्फ 35 प्रतिशत भूमि में सरकार विकास कार्य करेगी। सिंहस्थ सिटी विकसित करने के लिए सरकार उज्जैन शहर के आसपास ग्राम भीतरी, जियापुरा, मुरलीपुरा, मोहनपुरा से लेकर भैरवगढ़ क्षेत्र के किसानों की भूमि लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत लेना चाहती है, इसके लिए प्राधिकरण ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। इस विज्ञप्ति के जारी होने के बाद से क्षेत्र के

पिछले दिनों उज्जैन शहर के आसपास के गांवों के किसानों ने लैण्ड पुलिंग योजना का विरोध जताकर ट्रैक्टर रैली निकाली। हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। मुख्यमंत्री और यूडीए के खिलाफ नारेबाजी की।

किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रभावित किसान सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से मिले लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हुई।

किसानों में मचा हड़कंप- मोहनपुर जियापुरा से लेकर पिपलीनाका क्षेत्र के किसानों ने बताया कि हमारी जमीन में से 50 प्रतिशत जमीन उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा ले ली जाएगी, तो हम हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। साथ ही जो जमीन हमारे पूर्वजों की है उसे स्थाई तौर पर लिया जाना गलत है, हमें कितना मुआवजा दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट नहीं बताया जा रहा।

अपनी जमीन बचानें सड़को पर उतरे स्थानीय किसान, सिंहस्थ के नाम पर हड़पी जा रही जमीनें

कोर्ट जाने की तैयारी- सिंहस्थ मेला क्षेत्र के किसान जमीन अधिग्रहण के विरोध में हैं। किसानों का कहना है कि प्रक्रिया के विरोध में हमने मीटिंग कर ली है और जल्दी हम कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। किसानों का यह भी कहना है कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे और हमको किसानी का काम छोड़कर मजदूरी करना पड़ेगी।

जमीन अधिग्रहण पर एक नजर- उज्जैन विकास प्राधिकरण ने धारा 50 की उप धारा 1 के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने की घोषणा कर दी है, जिसमें मध्य

किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का मिला साथ

मेला क्षेत्र में स्थायी सिंहस्थ सिटी विकसित करने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा और पेचीदा हो सकता है। कई किसान पहले से इसके विरोध में हैं और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर मामले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सिंहस्थ सिटी के लिए किसानों की भूमि का अनुचित अधिग्रहण किया जा रहा है। आगामी दिनों में किसान हित में काम करने और अधिग्रहण के विरोध में सभी सदस्यों ने जोरदार तरीके से आंदोलन की बात कही है।

आपके गृहनगर उज्जैन के किसान कुछ सवाल पूछ रहे हैं, क्या मोहन यादव जवाब देंगे?- जीतू पटवारी, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस

■ सांवराखेड़ी व दाऊदखेड़ी में ब्रिज और सड़क का निर्माण किए गए थे, आज यह जमीन योजना से बाहर क्यों है?

■ यूडीए को ही सिंहस्थ की तैयारियों के लिए क्यों लाया गया?

■ सिंहस्थ क्षेत्र में किसानों को घर, पशुओं के लिए बाड़े व फसल रखने के लिए वेयर हाऊसा तक नहीं बनाने दिए! क्यों?

■ उज्जैन को आध्यात्मिक नगरी से कांक्रीट की नगरी क्यों बनाया जा रहा है?

■ क्या यह योजना 'भू-माफिया' का हित साधने के लिए तो नहीं है?

■ लैंड पुलिंग स्कीम में किसानों को आधी जमीन से वंचित क्यों किया जा रहा?

■ किसानों को वास्तविक योजना के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा?

किसानों का सबसे सबसे गंभीर आरोप है, कथित भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कागजों में बदलाव किया जा रहा है। इसीलिए, किसान जानना चाहते हैं, ऐसा कौन भू-माफिया है, जो बीजेपी सरकार पर भारी पड़ रहा है?

प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत सिंहस्थ मेला क्षेत्र नगर विकास योजना क्रमांक टीडीएस 08 उज्जैन 2024 अर्थात ग्राम मोहनपुरा व जियापुरा सिंहस्थ मेला क्षेत्र की भूमि पर योजना बनाने की तैयारी है। योजना में जो जमीन ली जाएगी उनके खसरे पत्र में उल्लेखित किए हैं। भू-स्वामी का नाम, तहसील ग्राम का नाम, खसरा और कितने हेक्टेयर जमीन ली जाएगी, उसका भी उल्लेख किया है। ऐसे में गांव के किसानों की चिंता बढ़ गई है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 07 गांवों के सैकड़ों किसानों ने कृषि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन उद्योगपुरी योजना के लिए अधिग्रहित की जा रही हैं, जिससे हजारों किसान और मजदूर प्रभावित होंगे।

उठते सवाल, मचा रहे बवाल

- नदी किनारे का क्षेत्र छोड़कर वहां से 10 किमी का क्षेत्र इस योजना में लेने का क्या तात्पर्य है?
- महाकाल मंदिर से 01 किमी क्षेत्र जो कि घाट क्षेत्र है, जहाँ घाट निर्माण भी करवाए थे, उनको सिंहस्थ में क्यों उपयोग नहीं किया जा रहा है?
- सांवराखेडी और दाउदखेडी में पुल और मार्ग सिंहस्थ के लिए निर्माण किये गए थे। वह भूमि इस योजना से बाहर क्यों है?
- उज्जैन विकास प्राधिकरण को सिंहस्थ क्षेत्र में सिंहस्थ की तैयारियों के लिए क्यों लाया गया, जबकि सिंहस्थ मेला प्राधिकरण इसको करता आया है। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण सिंहस्थ के लिए ही बना है? लेकिन अभी वर्तमान में उसके कार्यालय में ताला लगा हुआ है।
- सिंहस्थ क्षेत्र में आज दिनांक तक किसानों को अपने घर, जानवरों के बाड़े, फसल के भण्डारण के लिए वेयरहाउस तक नहीं बनाने दिए गए और आज वहां बाहरी लोगों को निर्माण के लिए आमंत्रित कर उनको निर्माण की आज्ञा दी जा रही है। ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है?
- उज्जैन का आध्यात्म समाप्त कर कांक्रीट की नगरी निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं, इसके बाद पुनः इसे कैसे आध्यात्मिक नगरी बना सकते हैं?
- यह योजना केवल भू-माफियाओं का हित साधने की योजना है और इसके पीछे केवल आर्थिक कारण हैं।
- सिंहस्थ नगर निगम उज्जैन का आयोजन है, इसमें बाहरी संस्था UDA (उज्जैन विकास प्राधिकरण) की भागीदारी संदेह पैदा करती है।
- मेले के किसान नदी के तट रक्षक हैं और आज दिनांक तक मेले की भूमि को मेले के लिए सुरक्षित रखा है तो आज लैंड पुलिंग स्कीम से उन किसानों को उनकी आधी भूमि से वंचित क्यों किया जा रहा है?
- UDA अब भू-माफिया नहीं लैंड शार्क है। किसान UDAको 01 इंच भूमि भी देने को तैयार नहीं है। पहले भी किसानों ने अपने अपने सामर्थ्य से ज्यादा पूर्व के सिंहस्थ आयोजनों को सफल बनाने में कार्य किया है। आज भी आगामी सिंहस्थ के लिए किसान तन-मन-धन से तैयार हैं। किन्तु सिंहस्थ के नाम से आज उनको उनकी भूमि से वंचित क्यों किया जा रहा है।
- पूर्व में जैसे सिंहस्थ के लिए भूमि ली जाती थी आगे भी वैसे ही किसानों की भूमि लेकर सिंहस्थ का आयोजन किया जाये, इसमें सभी किसानों की सहमति है। दिनांक 24 जनवरी 2025 को समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों को इस योजना की सूचना दी गई थी। किन्तु आज दिनांक तक बार-बार सम्बंधित अधिकारियों से अनुरोध करने पर भी उनके द्वारा वास्तव में योजना क्या है, उससे सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।
- सिंहस्थ की भूमि बेचकर सरकार पैसा क्यों कमाना चाहती है?
- हरे-भरे खेतों को नष्ट करके सरकार वहां कांक्रीट का जंगल क्यों खड़ा करना चाहती है?

बेखौफ भू-माफिया, सोता रहा निगम, उज्जैन में सिंहस्थ के लिए आरक्षित एक हेक्टेयर जमीन पर ही बसा दी कॉलोनी

उज्जैन में भू-माफिया तेजी से सक्रिय हैं। जब तक जिम्मेदारों को पता चलता है, तब तक कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध कॉलोनियां बस जाती हैं। ऐसा ही मामला सामने आया। यहां फर्जी कॉलोनाइजर ने सिंहस्थ महाकुंभ के लिए आरक्षित 1.150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर प्लॉट काट दिए। यही नहीं, यहां 40 से ज्यादा मकान भी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिंहस्थ मेला के लिये सुरक्षित क्षेत्र में पक्के निर्माण कार्य पर लगी है रोक

किसानों और कानूनी सलाहकारों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं आदेश देते हुए राज्य सरकार को चेताया है कि जिस जमीन को सिंहस्थ के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है उस जमीन पर सरकार को किसी प्रकार के पक्के निर्माण की परमीशन नहीं होगी। वह पूरी जमीन किसानों की है और उस पर मालिकाना हक भी किसानों का ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह स्पष्ट किया है कि सिंहस्थ मेला के लिये सुरक्षित जमीनों पर किसी भी तरह की बिल्डिंग, उद्योग या कॉलोनाईजेशन की परमीशन नही है। लेकिन मोहन यादव सरकार उज्जैन विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिये तैयार है और लगभग 2000 से अधिक किसानों की लगभग 23 सौ हैक्टेयर जमीन को मनमाने ढंग से अधिग्रहित करने की तैयारी कर रहा है।

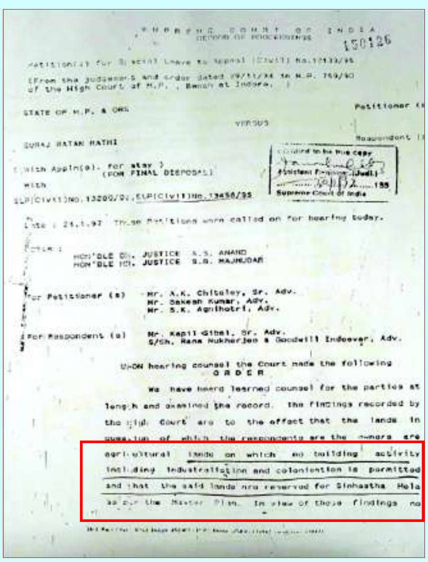

SUPREME COURT OF INDIA
RECORD OF PROCEEDINGS
150126

STATE OF M.P. & ORS. — Petitioner

VERSUS

SURAJ RATAN RATHI — Respondent

(FOR FINAL DISPOSAL)

Certified to be true copy
Assistant Registrar (Judl.)
Supreme Court of India

Date : 24.1.97 These petitions were called on for hearing today.

HON'BLE ... JUSTICE A.S. ANAND
HON'BLE ... JUSTICE S.B. MAJMUDAR

For Petitioner (s) Mr. A.K. Chitaley, Sr. Adv.
Mr. Sakesh Kumar, Adv.
Mr. S.K. Agnihotri, Adv.

For Respondent (s) Mr. Kapil Sibal, Sr. Adv.
S/Sh. Rana Mukherjee & Goodwill Indeever, Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following

ORDER

We have heard learned counsel for the parties at length and examined the record. The findings recorded by the High Court are to the effect that the lands in question of which the respondents are the owners are agricultural lands on which no building activity including industrialisation and colonisation is permitted and that the said lands are reserved for Sinhastha Mela as per the Master Plan. In view of these findings no

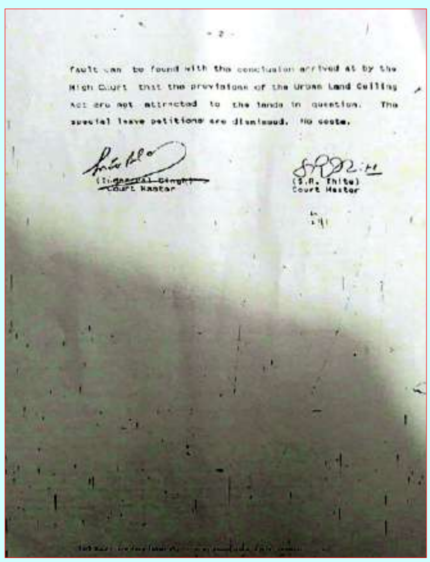

- 2 -

fault can be found with the conclusion arrived at by the High Court that the provisions of the Urban Land Ceiling Act are not attracted to the lands in question. The special leave petitions are dismissed. No costs.

Court Master

(S.R. Thite)
Court Master

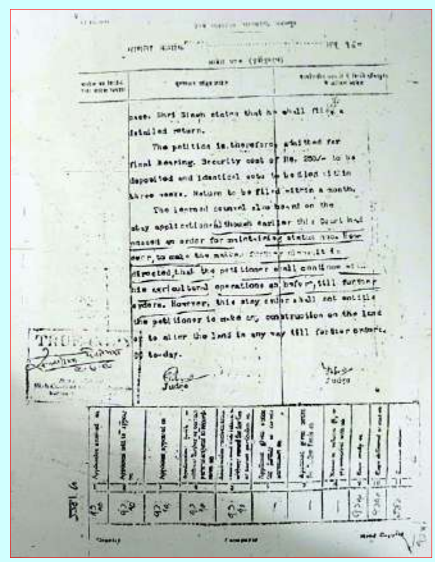

case. Shri ... states that he shall file a detailed return.

The petition is, therefore, admitted for final hearing. Security cost of Rs. 250/- to be deposited and identical ... to be filed within three weeks. Return to be filed within a month.

The learned counsel also heard on the stay application. Although earlier this Court had passed an order for maintaining status quo. However, to make the matter ... it is directed that the petitioner shall continue with his agricultural operations as before, till further orders. However, this stay order shall not entitle the petitioner to make any construction on the land or to alter the land in any way till further orders.

... to-day.

Judge

Judge

यह सुप्रीम कोर्ट की आर्डर की कॉपी है जिसमें लिखा है सिंहस्थ की जमीन पर पक्के निर्माण नही किये जा सकते।

बना दिए गए। अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जीवाजीगंज थाने में 85 वर्षीय रफीक पिता वज़ीर खां निवासी कोट मोहल्ला के खिलाफ नगर निगम के कॉलोनी सेल के उपयंत्री राजेन्द्र रावत ने केस दर्ज कराया है। रावत ने बताया

2006 में यूडीए और वक्फ की लापरवाही में फंसे थे 120 परिवार

उज्जैन विकास प्राधिकरण में मोहन यादव के अध्यक्ष और सांसद अनिल फिरोजिया के उपाध्यक्ष रहते हुए शिप्रा विहार कॉलोनी के 120 परिवारों को प्लॉट आवंटित हुए थे। 2006 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने देवास रोड पर मध्यमवर्गीय परिवार को सपने दिखाकर शिप्रा विहार कालोनी में प्लाट की विज्ञप्ति निकाली थी। लॉटरी सिस्टम से 120 परिवारों को प्लॉट देना तय हुआ था। सभी परिवारों ने समय पर विकास प्राधिकरण की किश्त जमा की। कुछ लोगों ने प्राधिकरण में राशि जमा करवाने के बाद रजिस्ट्री भी करवा ली। लेकिन जब लोग प्लॉट पर कब्जा लेने पहुंचे तो पता चला कि जमीन वफ्फबोर्ड के पास है। वफ्फ बोर्ड जमीन पर किसी को भी कब्जा नहीं लेने दे रहा है। जमीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 2006 में देवास रोड स्थित शिप्रा विहार कॉलोनी के लिए भूअर्जन कर 300 प्लॉट काटे थे। कॉलोनी का विकास कर प्राधिकरण ने बाकायदा विज्ञप्ति निकाली और लॉटरी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किया। इस दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मोहन यादव मौजूदा कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष अनिल फिरोजिया मौजूदा सांसद थे। 300 प्लाट में से 127 परिवारों को प्लॉट पर कब्जा और रजिस्ट्री करा दी गई।

कि रफीक ने नगर निगम से कॉलोनाइजर का लाइसेंस और ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री) से अनुमति के बगैर ही सर्वे क्रमांक 740 (0.658 हैक्टेयर), 761 (0.105 हैक्टेयर) और 762 (0.387 हैक्टेयर) पर अवैध कॉलोनी बसा दी। रफीक के खिलाफ म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 292 (ग) और आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज

उज्जैन मास्टर प्लान को मोहन यादव ने जानबूझकर कराया परिवर्तन

उज्जैन शहर का मास्टर प्लान पहले से ही विवादों में था। मास्टर प्लान को लेकर करीब 463 आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सिहंस्थ 2016 में जिस भूमि पर सेटेलाइट टाउन का निर्माण किया गया था। वहां की भूमियों को आवासीय किया है। जबकि अधिकांश आपत्ति सेटेलाइट टाउन वाली भूमियों को सिहंस्थ के लिए आरक्षित रखने को लेकर की गई थी। सेटेलाइट टाउन के लिए दाउदखेड़ी इंदौर रोड पर सिहंस्थ बायपास के कुल 148.679 हैक्टर भूमि अधिग्रहित की गई थी। इसी तरह समस्त सेटेलाइट टाउन के लिए शहर में अधिग्रहित भूमि 352.515 की गई थी। जिसे अब मास्टर प्लान में आवासीय कर दिया गया।

मोहन यादव के परिवार के नाम पर जमीनें

सिहंस्थ क्षेत्र की कई जमीनें मोहन यादव के परिवार के नाम पर हैं, जिसे आवासीय घोषित किया गया। वहीं राजनेताओं के पार्टनर की कृषि भूमि को बिना आवेदन दिए आवासीय किया है। जिससे शासन को करीब 500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वही आवासीय क्षेत्र में यह भूमि आने के बाद बिल्डरों को 15 सौ करोड़ रुपए का फायदा हुआ।

सिहंस्थ की 74 हेक्टेयर भूमि खत्म की

259 आपत्तियों पर जिला कार्यालय और स्थानीय समिति ने निर्णय लिया कि सिहंस्थ क्षेत्र की भूमि मुक्तकराना प्रशासन के क्षेत्र अधिकार में होने से आपत्ति अमान्य कर दी गई। जबकि पूर्व में जहां सिंहस्थ- 2016 में दाउदखेड़ी, सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी की भूमियों को प्रशासन ने अधिग्रहित कर भूमि स्वामियों को मुआवजा भी दिया था। उस भूमि को वर्तमान मास्टर प्लान में सिंहस्थ क्षेत्र से हटाकर आवासीय किया है। मास्टर प्लान 2035 में सिंहस्थ क्षेत्र की 74 हेक्टेयर भूमि को कम कर दिया है। जबकि इस बार के सिंहस्थ के लिए भूमि को बढ़ाया जाना था।

कराया गया है।

सत्ता से लेकर प्रशासन तक सभी बैठे हैं मौन

विगत 04 मार्च 2025 को पहले अपनी जमीन को गलत ढंग से अधिग्रहित करने की योजना का विरोध करने और स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देने के लिये जिले के किसानों ने टैक्टर रैली निकाली। इस रैली को रोकने के लिये स्थानीय प्रशासन और

पुलिस बल ने काफी पुरजोर कोशिश की और किसान प्रतिनिधि सुरेन्द्र चतुर्वेदी को ट्रैक्टर रैली की परमीशन के लिए एडीएम कार्यालय में बुलाया गया। कार्यालय पहुंचे चतुर्वेदी को लगभग सुबह से लेकर रात तक नज़रबंद कर बैठा कर रखा गया और उन्हें यह ट्रेक्टर रैली निकालने से रोकने के लिये मजबूर किया गया लेकिन अपनी बात पर अडिग चतुर्वेदी ने उनकी एक नहीं सुनी और यह ट्रैक्टर रैली रोकने से साफ मना कर दिया। जबकि इतिहास कहता है कि जब-जब देश में किसानों ने आवाज उठाई है और उनकों हक देने के बजाय सरकारों ने उन्हें रोका है, तब उसका परिणाम आगामी चुनावों में जरूर देखने को मिला है।

उज्जैन में सिंहस्थ के लिए रिजर्व 872 एकड़ जमीन में से 185 एकड़ को लैंडयूज बदलकर कर दिया गया था अलग

उज्जैन में सिंहस्थ के लिए रिजर्व 872 एकड़ जमीन में से 185 एकड़ को लैंडयूज

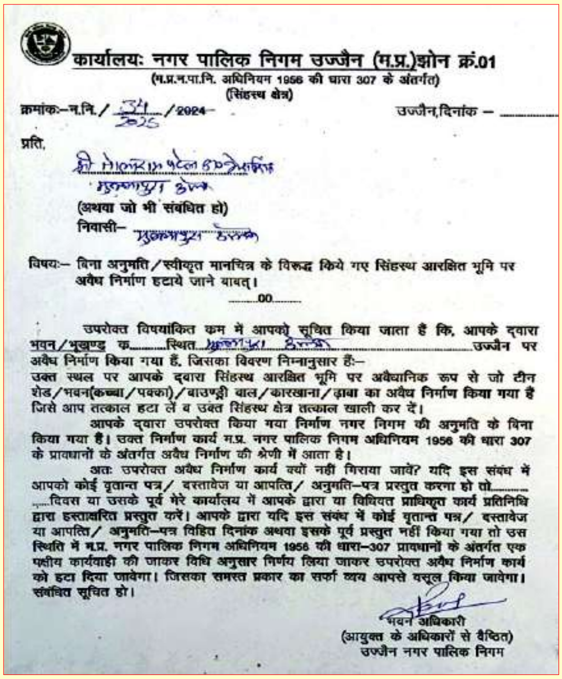

कार्यालयः नगर पालिक निगम उज्जैन (म.प्र.)झोन क्रं.01
(म.प्र.न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 307 के अंतर्गत)
(सिंहस्थ क्षेत्र)

क्रमांकः–न.नि./ 34 /2024 2025 उज्जैन,दिनांक – ....

प्रति,

(अथवा जो भी संबंधित हो)
निवासी–

विषयः– बिना अनुमति/स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किये गए सिंहस्थ आरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण हटाये जाने बावत्।

........00........

उपरोक्त विषयांकित कम मे आपको सूचित किया जाता हैं कि, आपके द्वारा भवन/भूखण्ड क........स्थित..........उज्जैन पर अवैध निर्माण किया गया हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–
उक्त स्थल पर आपके द्वारा सिंहस्थ आरक्षित भूमि पर अवैधानिक रूप से जो टीन शेड/भवन(कच्चा/पक्का)/बाउण्ड्री वाल/कारखाना/ढाबा का अवैध निर्माण किया गया हैं जिसे आप तत्काल हटा लें व उक्त सिंहस्थ क्षेत्र तत्काल खाली कर दें।

आपके द्वारा उपरोक्त किया गया निर्माण नगर निगम की अनुमति के बिना किया गया हैं। उक्त निर्माण कार्य म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त अवैध निर्माण कार्य क्यों नही गिराया जावें? यदि इस संबंध में आपको कोई वृतान्त पत्र/ दस्तावेज या आपत्ति/ अनुमति–पत्र प्रस्तुत करना हो तो.......... ....दिवस या उसके पूर्व मेरे कार्यालय में आपके द्वारा या विधियत प्राधिकृत कार्य प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करें। आपके द्वारा यदि इस संबंध में कोई वृतान्त पत्र/ दस्तावेज या आपत्ति/ अनुमति–पत्र विहित दिनांक अथवा इसके पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया तो उस स्थिति में म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–307 प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर विधि अनुसार निर्णय लिया जाकर उपरोक्त अवैध निर्माण कार्य को हटा दिया जावेगा। जिसका समस्त प्रकार का सर्फा व्यय आपसे वसूल किया जावेगा। संबंधित सूचित हो।

भवन अधिकारी
(आयुक्त के अधिकारों से वैष्ठित)
उज्जैन नगर पालिक निगम

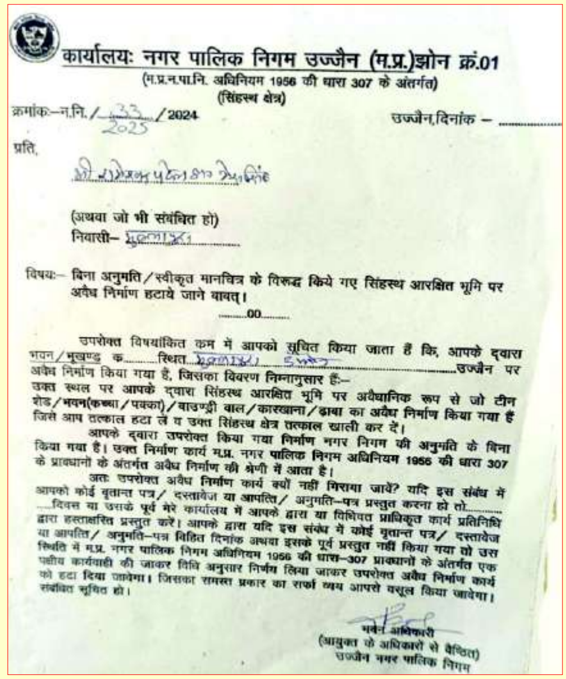

कार्यालयः नगर पालिक निगम उज्जैन (म.प्र.)झोन क्रं.01
(म.प्र.न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 307 के अंतर्गत)
(सिंहस्थ क्षेत्र)

क्रमांकः–न.नि./ 33 /2024 2025 उज्जैन,दिनांक – ....

प्रति,

(अथवा जो भी संबंधित हो)
निवासी–

विषयः– बिना अनुमति/स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किये गए सिंहस्थ आरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण हटाये जाने बावत्।

........00........

उपरोक्त विषयांकित कम मे आपको सूचित किया जाता हैं कि, आपके द्वारा भवन/भूखण्ड क........स्थित..........उज्जैन पर अवैध निर्माण किया गया हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–
उक्त स्थल पर आपके द्वारा सिंहस्थ आरक्षित भूमि पर अवैधानिक रूप से जो टीन शेड/भवन(कच्चा/पक्का)/बाउण्ड्री वाल/कारखाना/ढाबा का अवैध निर्माण किया गया हैं जिसे आप तत्काल हटा लें व उक्त सिंहस्थ क्षेत्र तत्काल खाली कर दें।

आपके द्वारा उपरोक्त किया गया निर्माण नगर निगम की अनुमति के बिना किया गया हैं। उक्त निर्माण कार्य म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त अवैध निर्माण कार्य क्यों नही गिराया जावें? यदि इस संबंध में आपको कोई वृतान्त पत्र/ दस्तावेज या आपत्ति/ अनुमति–पत्र प्रस्तुत करना हो तो.......... ....दिवस या उसके पूर्व मेरे कार्यालय में आपके द्वारा या विधियत प्राधिकृत कार्य प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करें। आपके द्वारा यदि इस संबंध में कोई वृतान्त पत्र/ दस्तावेज या आपत्ति/ अनुमति–पत्र विहित दिनांक अथवा इसके पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया तो उस स्थिति में म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–307 प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर विधि अनुसार निर्णय लिया जाकर उपरोक्त अवैध निर्माण कार्य को हटा दिया जावेगा। जिसका समस्त प्रकार का सर्फा व्यय आपसे वसूल किया जावेगा। संबंधित सूचित हो।

भवन अधिकारी
(आयुक्त के अधिकारों से वैष्ठित)
उज्जैन नगर पालिक निगम

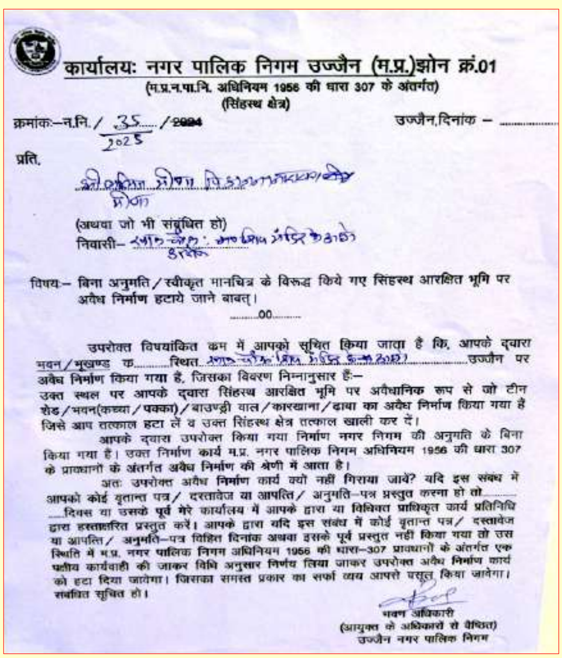

कार्यालयः नगर पालिक निगम उज्जैन (म.प्र.)झोन क्रं.01
(म.प्र.न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 307 के अंतर्गत)
(सिंहस्थ क्षेत्र)

क्रमांकः–न.नि./ 35 /2024 2025 उज्जैन,दिनांक – ....

प्रति,

(अथवा जो भी संबंधित हो)
निवासी–

विषयः– बिना अनुमति/स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किये गए सिंहस्थ आरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण हटाये जाने बावत्।

........00........

उपरोक्त विषयांकित कम मे आपको सूचित किया जाता हैं कि, आपके द्वारा भवन/भूखण्ड क........स्थित..........उज्जैन पर अवैध निर्माण किया गया हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–
उक्त स्थल पर आपके द्वारा सिंहस्थ आरक्षित भूमि पर अवैधानिक रूप से जो टीन शेड/भवन(कच्चा/पक्का)/बाउण्ड्री वाल/कारखाना/ढाबा का अवैध निर्माण किया गया हैं जिसे आप तत्काल हटा लें व उक्त सिंहस्थ क्षेत्र तत्काल खाली कर दें।

आपके द्वारा उपरोक्त किया गया निर्माण नगर निगम की अनुमति के बिना किया गया हैं। उक्त निर्माण कार्य म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

अतः उपरोक्त अवैध निर्माण कार्य क्यों नही गिराया जावें? यदि इस संबंध में आपको कोई वृतान्त पत्र/ दस्तावेज या आपत्ति/ अनुमति–पत्र प्रस्तुत करना हो तो.......... ....दिवस या उसके पूर्व मेरे कार्यालय में आपके द्वारा या विधियत प्राधिकृत कार्य प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करें। आपके द्वारा यदि इस संबंध में कोई वृतान्त पत्र/ दस्तावेज या आपत्ति/ अनुमति–पत्र विहित दिनांक अथवा इसके पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया तो उस स्थिति में म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–307 प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर विधि अनुसार निर्णय लिया जाकर उपरोक्त अवैध निर्माण कार्य को हटा दिया जावेगा। जिसका समस्त प्रकार का सर्फा व्यय आपसे वसूल किया जावेगा। संबंधित सूचित हो।

भवन अधिकारी
(आयुक्त के अधिकारों से वैष्ठित)
उज्जैन नगर पालिक निगम

नगर निगम उज्जैन ने अपनी जमीनों को बचानें के लिए रैली निकाल रहे किसानों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा बनाये मकान शेड की नगर निगम की परमिशन नही है। इन्हें तत्काली सिंहस्थ क्षेत्र से हटा लें। निर्माण कार्य मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 191956 की धारा 306 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

बदलकर अलग कर दिया गया। इस 185 एकड़ में 29 एकड़ जमीन तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उनकी फर्म, पत्नी सीमा और बहन नगर निगम सभापति कलावती यादव व लीला बाई यादव के नाम है। आरोप है कि मुख्यमंत्री और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ही उज्जैन के मास्टर प्लान-2035 में यह बदलाव किया गया है। सिंहस्थ की

सड़कों पर किसान, सकते में शासन-प्रशासन

सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन में तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। जिसके लिए जमीन की जरुरत को पूरा करने की कवायद की जा रही है। इसकी कवायद के बीच किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। क्योंकि जमीन की जरुरत के लिए यूडीए लैण्ड पुलिंग योजना लेकर आया है। जिसमें किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। जिसका विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा है। आंदोलन स्थल पर जगत विज़न पत्रिका की संपादक विजया पाठक ने किसानों से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश-

किसानों की सुनवाई नही

पूरे परिवार की 300 बीघा जमीन जा रही है। सिंहस्थ मेला क्षेत्र का कोई विरोध नहीं है। साधु संत का कोई विरोध नही है। हम महादेव की सेवा करते हैं। लेकिन उज्जैन विकास प्राधिकरण का विरोध करते हैं। हम सिंहस्थ में सेवा देते हैं। लैण्ड पुलिंग सिर्फ शहर के विकास के लिए हो रही सिंहस्थ के लिए नहीं कर रहे। हम यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां नगर निगम द्वारा हमारे घरों को तोड़-फोड का आदेश दे रही है। सरकार हमारे साथ दरिंदगी पर उतर आई है। हमें कागज नही दिए जा रहे हैं। हमारी पूरी जमीन का कोई मुआवजा नही दिया जा रहा है। मेन रोड का चौड़ीकरण फोरलेन, सिक्सलेन का कोई विरोध नही लेकिन खेती की जमीन पर सड़क का निर्माण ना हो। प्राधिकरण की मंशा सिर्फ कॉलोनाईजर को लाभ पहुंचाने की है। हमें ज्ञापन देने के लिए कोई परमीशन नहीं दी। किसान मर रहा है लेकिन किसान की कोई सुनवाई नहीं है।

रामेश्वर पटेल किसान मुल्लापुर, बड़नगर

हम स्थानीय निर्माण के लिए जमीन नहीं देंगे

मेरे पास तीस बीघा जमीन है। मेरी जमीन का कुछ भाग इस बार आया। शांतिपूर्ण तरीके से हमें खेती किसानी करने दी जाए। हम परमानेंट कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी जमीन नहीं देगे। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण तो बंद ही हो गया है।

राहुल शर्मा वकील, मोजमखेड़ी

इस रिजर्व जमीन का लैंडयूज कृषि से बदलकर आवासीय कर दिया गया है, ताकि यहां निजी कॉलोनियां डेवलप हो सकें। आरोप यह भी है कि सत्ता में बैठे चंद कुछ लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए ही मास्टर प्लान को अभी तक अटका कर रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन का पालन करें

मेरी 30 बीघा जमीन खाद चौक में है। हमारी जमीनों का उपयोग सन् 1980 से सिंहस्थ के लिए किया जा रहा है। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण कोई कार्यवाही कर ही नही रहा है। हमसे शासन और उज्जैन विकास प्राधिकरण सिर्फ बात कर रहे है। परंपरागत सिंहस्थ जो हमेशा से लगता आ रहा है। हम वैसा ही चाहते है सरकार की मंशा हमारी जमीनें हड़पकर सिर्फ कॉलोनियां काटना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन में यह कहा गया है कि आप पक्का निर्माण नही कर सकते। क्योंकि यह नीति में नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सिंहस्थ आरक्षित भूमि में कोई भी निर्माण नही हो सकता। सरकार किसानों को डरा धमका रही हैं। हमारे आंदोलन को कुचलने की पूर्ण कोशिश की जा रही है। हमारे ट्रैक्टरो को बाहर रोक दिया गया, हमारे बहुत सारे किसान भाईयों को नजर बंद किया गया है।

ललित मीणा, किसान, पीपली नाका

जमीनों से वंचित कर रहे

हमारी करीब 90 बीघा जमीन पर सरकार की नजर है। पारंपरिक रूप से हमारी जमीन सिंहस्थ के लिये उपयोग की जा रही है। आज से पहले भी सिंहस्थ के भव्य आयोजन हुए हैं। भूमि स्वामी को भूमि से वंचित कर रहे हैं। एक महीने के आयोजन के लिए सभी किसान भाईयों को जमीन से वंचित कर रहे है। हम अपनी लड़ाई दिल्ली तक लेकर जायेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम राष्ट्रपति तक गुहार लगायेंगे।

प्रकाश मीणा, किसान

सिंहस्थ- 2028 में 10 से 13 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, इसलिए ज्यादा जमीन की जरूरत होगी। बावजूद इसके रिजर्व जमीन में से मुख्यमंत्री व उनके रिश्तेदारों की जमीन को सिंहस्थ से मुक्त कर दिया गया। शक्करवासा, सांवराखेड़ी व दाउदखेड़ी आदि गांवों की जमीनों के लैंडयूज भी बदले गए। इस पर कांग्रेस पार्षद रवि राय ने शासन में शिकायत की। पिछले सिंहस्थ के दौरान बायपास के बनाए जाने के बाद से बायपास के आसपास की जमीनों की पूछ-परख बढ़ गई और भाजपा नेताओं और बिल्डर्स आदि की नजर यहां की जमीनों पर पड़ गई और उन्होंने किसानों से जमीन खरीदना शुरू कर दिया। मास्टर

लैण्ड पुलिंग का विरोध करते रहेंगे

ग्राम उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर रोड पर हमारी 18 बीघा जमीन है। लैण्ड पुलिंग सिस्टम के विरोध में हम सब किसान एक साथ उपस्थित हुए हैं। हम अपनी लड़ाई प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। सिंहस्थ का कोई विरोध नही है। हम सनातनी लोग महादेव के भक्त हैं। पारंपरिक रूप से सिंहस्थ में उपयोग की गई जमीन पत्थर हो जाती है। हमें पांच साल लग जाते हैं, इसे ठीक करने में। लेकिन हमने कभी इसकी कोई शिकायत नही की। शांतिपूर्ण तरीके से सिंहस्थ में सेवा देना चाहते हैं।

सुरेश बैरागी, किसान

शासन की मंशा किसान विरोधी है

किसानों से जबरदस्ती 185 हेक्टेयर जमीन ले ली है। 2014 में मोहन यादव उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। उन गांवा में पीछे सिंहस्थ का क्षेत्र बता दिया। अब लैण्ड पुलिंग के नाम पर किसानों की जमीनें हड़पी जा रही है। हम इसका विरोध कर रे हैं। शासन को योजना पर विचार करना होगा।

डॉ. दीपक जोशी

प्लान में सिंहस्थ से मुक्त की गई जमीन में से 08 हिस्से मुख्यमंत्री के नाम पर हैं। इसके अलावा मप्र जन अभियान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय व उनकी पत्नी कविता उपाध्याय के अलावा भाजपा नेताओं और भाजपा से जुड़े बिल्डर्स की जमीन का लैंडयूज भी बदला गया है। मास्टर प्लान के प्रस्तावित होने के दौरान 450 आपत्तियां टीएंडसीपी व शासन स्तर पर पहुंची थी। इन आपत्तियों को दरकिनार कर

रैली कर रहे सभी किसान मुख्यमंत्री मोहन यादव के विधानसभा क्षेत्र के हैं।

दिया गया और मुख्यमंत्री और उनकी कंपनी तथा परिवार के लोगों की जमीन को मुक्त कर उसे आवासीय किया गया है। मोहन यादव और उनके परिवार, समर्थकों की 700-800 बीघा और ना जाने कितनी संपति 2003 के बाद से कैसे बढ़ी इसकी जांच पड़ताल अभी तक क्यों नहीं की गई थी। अगर आलाकमान इस मामले को संज्ञान में नहीं लाएगी तो निश्चित तौर पर आलाकमान को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री

हम अपनी जमीन नही देंगे

हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीनों को नहीं छोड़ेगे क्योंकि यह योजना केवल बिल्डर्स को फायदा पहुँचाने के लिए है। सिंहस्थ में तो हमारी असीम श्रद्धा है लेकिन सरकार इस धार्मिक आयोजन में भी षड्यंत्र रच रही है। हमारी खेती को व्यवसायिक उपयोग में लाने का षड्यंत्र है। यूडीए और मुख्यमंत्री की मंशा से ही लैण्ड पुलिंग जैसी योजना लायी गई है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे है।

तोलाराम पटेल, किसान

यदुरप्पा जैसी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले देश में नरेंद्र मोदी की साख में बट्टा ज़रूर लगायेंगे।

चौथे स्तंभ को रोकने का किया गया प्रयास

मैं किसानों की ट्रैक्टर रैली के कवरेज के लिये उज्जैन में आंदोलन स्थल पर पहुंची। वहां मैंने कई किसानों से बातचीत की, उनके किसान संगठन के पदाधिकारियों से इंटरव्यू लिये। जब मैं एक अन्य किसान से बात कर रही थी वो मुझे यह बता रहे थे कि हम लोग यहां पर अपनी बात रखने आये हैं और प्रशासन हमारे घरों को तोड़ने के लिये मुनादी करवा रहा है। उनके घर से किसी ने उन्हें फोन पर यह बात बताई थी। तभी एक स्थानीय महिला पुलिस बल सक्रिय हुआ और पुलिस अधिकारी श्वेता गुप्ता और अन्य मुझे गिरफ्तार करने के लिये आगे बढ़ी।

भय, भ्रष्टाचार और अत्याचार का साम्राज्य खड़ा किया मोहन यादव ने

शासकीय रिकार्ड में दर्ज मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमीन

कस्बा	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल	निजी भूमि	भूमि स्वामी
4 उज्जैन	3283-3	2.238	2.238	श्री सिद्धि विनायक देवकॉन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मोहन पिता पूनमचंद यादव
11 उज्जैन	3288 मीन	1.562	1.562	श्री सिद्धि विनायक देवकॉन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मोहन पिता पूनमचंद यादव
13 उज्जैन	3288 मीन	0.296	0.296	श्री सिद्धि विनायक देवकॉन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मोहन पिता पूनमचंद यादव
15 उज्जैन	3290	2.863	2.863	कलाबाई पति सत्यनारायण
18 उज्जैन	3291-1-2	0.627	0.627	लीलाबाई पिता पूनमचंद

(जमीन के आंकड़े हेक्टेयर में)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बहन नगर परिषद उज्जैन की अध्यक्ष कलाबाई पति सत्यनारायण के नाम दर्ज जमीन

सर्वे नम्बर 3290 कुल जमीन 2.863 एकड़

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूसरी बहन लीलाबाई के नाम दर्ज जमीन

सर्वे नम्बर 3291/1/2 कुल जमीन 0.627 एकड़

उज्जैन में किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारी संख्या में किसान एकत्रित हुए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इनकी ट्रेक्टर रैली नहीं होने दी।

पुलिस बल को मेरी तरफ आगे बढ़ता देख सैकड़ों किसान एकत्रित हो गये और उन्होंने पुलिस प्रशासन के इरादों पर पानी फेर दिया। वहां से मेरे साथ मेरी गाड़ी में संगठन के पदाधिकारी मुझे देवास तक छोड़ने जा रहे थे तभी मेरी गाड़ी के सामने दो-तीन पुलिस वाहनों से मेरा रास्ता रोक लिया गया और मुझे बोला गया कि आप गाड़ी से बाहर आईये, आपसे कुछ जानकारी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ मेरी जानकारी लेने के लिये इतना बड़ा पुलिस बल लगाया गया था या इसके पीछे मोहन यादव सरकार की कुछ और ही मंशा थी। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से लेकर देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी किसान भाईयों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान, सत्ता, शासन और प्रशासन की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। क्या

बंशीलाल राठौर एवं उनकी पत्नी कृष्णा राठौर को मुख्यमंत्री मोहन यादव के अत्याचार से कौन बचाएगा?

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश में असंवैधानिक कार्य में लगे हुए हैं। प्रदेश में किसी भी मजलूम पर हुए अत्याचार पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री पर होती है पर उसके ठीक उलट मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद गरीबों की

मोहन यादव सरकार किसानों के सामने नतमस्तक होकर अपने फैसले को बदलेगी क्योंकि किसानों ने यह स्प्ष्ट कहा है कि हमारी सिंहस्थ और महाकाल के लिये असीम श्रद्धा है। हमारे पूर्वज हमेशा से सिंहस्थ में अपना योगदान देते आये हैं और हम भी देने को तैयार हैं। लेकिन पूर्ववत की भांति सभी सिंहस्थ के लिये अपनी जमीन का अधिग्रहण करवाने के लिये तैयार हैं

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH //शपथपत्र// CS 365531

मैं श्रीमती कृष्णा बाई आधार नंबर-7076 3777 7732 पत्नी श्री बंशीलाल आयु वयस्क निवासी मकान नंबर 19-20, विजय पैलेस कालोनी, मानिक बाग रोड, इन्दौर, एवं हाल उपस्थित भोपाल म.प्र. की होकर शपथपूर्वक निम्न कथन करती हूँ कि:-

01. यह कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ जो कि सत्य एवं सही है।

02. यह कि मेरे पति के नाम की भूमि देवास गेट तीन बत्ती चौराहा उज्जैन में स्थित है जिसको अवैध कब्जा से मुक्त कराना है।

03. यह कि उक्त संबंध में मैं अपने पूर्ण होशो हवास में अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव में श्रीमती विजया पाठक जी को अपनी सहायता के लिये अधिकृत करती हूँ।

04. यह कि यह शपथपत्र मेरे द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध न्यायालय एवं जिला कार्यालय, पुलिस थानों में मेरी ओर से श्रीमती विजया पाठक जी मेरी सहायता करने के लिये उक्त तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत किया जा रहा है।

05. यह कि इस शपथ पत्र में उपरोक्त सभी दर्शाये गये तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है यदि उक्त कथन असत्य पाये जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी स्वय की होगी।

06. यह कि उक्त संबंध में मुझे विजया पाठक जी के द्वारा बताये गये मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करने हेतु अपनी सहमति देती हूँ।

शपथग्रहिता

//सत्यापन//

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करती हूँ कि शपथपत्र के चरण क्रमांक 01 से लगायत 06 में दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है जिसका सत्यापन आज दिनांक 18/12/2024 को स्थान भोपाल में किया गया।

शपथग्रहिता

SWORN BEFORE ME
RAJESH KUMAR KUNSARIA
NOTARY & ADVOCATE
BHOPAL, (M.P.) INDIA

Identified by
Name. Archana Sharma
Address. Old Subhash Nagar Bhopal
Signature.

बंशीलाल राठौर की पत्नि कृष्णा राठौर ने शपथ-पत्र देकर जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक को बताई अपनी व्यथा

जमीन हड़प कर उनको जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की विडंबना है कि सरकार के 15 माह पूरे होने के बाद स्वयं मुख्यमंत्री और उनके परिवार उज्जैन क्षेत्र में भू-माफिया जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण बंशीलाल राठौर है। दरअसल बंशीलाल के पूर्वजों की करीब पांच बीघा जमीन, जो कि तीन बत्ती चौराहे के पास थी उसकी फर्जी रजिस्ट्री, नामांतरण और मूल दस्तावेज गायब करवाकर करोड़ों-अरबों रूपयों का एसएन कृष्णा अस्पताल खोला गया। इसके साथ ही प्रशासन का दुरूपयोग कर मूल जमीन के मालिक को जेल करवा दी गई एवं उसके परिवार को तरह-तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के अत्याचार से पीड़ित परिवार सामूहिक आत्महत्या की बात कर रहा है।

जिसकी कहानी स्वयं बंशीलाल राठौर की पत्नि कृष्णा राठौर ने व्यक्त की है जो कि इस प्रकार है-

आज से चार पांच साल पहले कोरोनाकाल के समय जब मुख्यमंत्री मोहन यादव शिवराज सरकार में शिक्षामंत्री थे। उन्होंने उज्जैन में मेरी जमीन हड़प ली। वह लोगों के कार्नर की जमीनों को हड़पते हैं। मेरे पति को झूठे केस में जेल में डाल दिया गया है। मैं बोलती हूँ कि मेरा सबकुछ ले लो लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के अत्याचार से पीड़ित हूं। चक्की चलाकर गुजारा करती हूं। मुझे बार-बार तंग करने के लिए आठ-आठ दिन में पेशी कराई जाती है, जिससे मेरी रोजी रोटी बंद हो जाये। पूर्व टीआई तरून कुरील (थाना नीलगंगा उज्जैन) जो कि मोहन यादव का स्कूल मित्र है, वह मुझे डराता, धमकाता है। टीआई भी इनसे मिला है। बिना पढ़े कागजों पर दस्तखत करवाता है। एक लाख रूपये मांगता है। एसआई बड़ोनिया के साथ मिलकर आये दिन मुझे तंग करते हैं। पैसों की

लेकिन हम लैंड पुलिंग के माध्यम से अपनी जमीनों पर स्थाई निर्माण नहीं होने देंगे और सत्ता और प्रशासन की जो मंशा है कि हमारी जमीनों को हड़प कर उसमें पक्के निर्माण करें, हम उसका हमेशा विरोध करते रहेंगे।

क्या सिर्फ कमाई के लिए खनन, वन, पर्यावरण, गृह, जनसंपर्क जैसे संसाधनों वाले विभागों पर कुंडली

बंशीलाल राठौर की पत्नि कृष्णा राठौर से बातचीत करती हुई विजया पाठक

मांग करते हैं। मैं हर रोज के कोर्ट कचहरी से परेशान हो गई हूं। यह जमीन मेरी पुश्तैनी है। मेरे पति इस संपत्ति के इकलौते वारिस हैं। अभी भी मेरे पति को झूठे 420 के केस में जेल में बंद किया गया है। जब मैं आपसे (विजया पाठक) मिलने आ रही थी तब किसी अज्ञात मोटर साईकिल वाले ने मुझे धक्का मारा जिससे मेरे सिर में चोट आई है और मैं बाल-बाल बच गई। मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में जमीनें हड़पकर बनाया साम्राज्य

ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कृष्णा राठौर ने जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। इससे पहले भी सिंहस्थ जमीन घोटाला हुआ था जिसमें मोहन यादव का नाम सामने आया था। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप के बाद मामला रफा-दफा हुआ था। इनकी पार्टी के पूर्व मंत्री पारस जैन ने खुद मोहन यादव पर आरोप लगाये थे। महाकाल की नगरी के जमीन घोटाले में मोहन यादव का नाम अक्सर आता है। कृष्णा राठौर के मामले में न्याय मिलना चाहिए, इस मामले में भाजपा आलाकमान भी हस्तक्षेप करें ताकि उज्जैन में हो रहे जमीन घोटालों पर कुछ हद तक लगाम लग सके। सूत्रों का कहना है कि उज्जैन में कोई भी बिल्डर काम नहीं करना चाहता है क्योंकि बिल्डर्स को डर लगा रहता है कि कहीं यह विवादित जमीन तो नहीं है। वहीं प्रशासन भी निरंकुश बना हुआ है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ऐसे मामलों में हाथ नहीं डालना चाहता है और लोगों की सुनवाई तक नहीं करते हैं।

जमाए बैठे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव?

भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपनी ही कैबिनेट में आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालय अपने पास रखे हैं। काम की समीक्षा करें तो इनके सारे विभागों का रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास आधे दर्जन से अधिक विभाग रखे हुए हैं। जिनमें सब मंत्रालय महत्वपूर्ण हैं। गृह जैसा विभाग

उज्जैन विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष रहते मोहन यादव ने अर्जित की अकूत संपत्ति

मध्यप्रदेश के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर रहते अपने पद, प्रभाव, अधिकार का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, कदाचरण करते हुए अवैध रू प से अकूत सम्पदा अर्जित कर ली है। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी गैर योजना मद में छः करोड़ बीस लाख रूपये स्वीकृत करने का प्रावधान है। यदि कोई स्वीकृत कार्य रूपये 7,50,00,000/- से अधिक का हो तो निविदा आमंत्रण के 15 दिवस पूर्व शासन की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। प्राधिकरण की तकनीकी शाखा द्वारा डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर ब्रिज का निर्माण हरि फाटक के पास, क्षिप्रा नदी के उपर, उज्जैन में होने वाले खर्च की राशि का निर्धारित बजट 6,73,00,000/- निर्धारित किया गया था। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर ब्रिज का निर्माण हरिफाटक के पास, क्षिप्रा नदी के उपर, उज्जैन पर करने हेतु दिनांक 23.11.2007 को निविदा आमंत्रित की। प्राधिकरण की तकनीकी शाखा द्वारा सांवराखेड़ी ब्रिज निर्माण के लिए निविदा आमंत्रण के माध्यम से जो अधिसूचना जारी की गयी थी उसकी अधिकृत निर्माण लागत राशि रूपये 6,73,00,000/- अधिसूचित की गई थी। परंतु दिनांक 22.12.2007 को सायंकाल 4 बजे तक निविदा प्रपत्र विक्रय किये जाने के पश्चात दिनांक 03.01.2008 व दिनांक 16.01.2008 को सम्पन्न हुई निविदा खुलने की प्रक्रिया में फेरो कांक्रीट कन्स्ट्रक्शन (इंडिया) प्रा.लि. इंदौर के पक्ष में निविदा का

भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। जिसके कारण प्रदेश में कानून व्यववस्था चरमरा गई है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपनी व्यस्तता के कारण मोहन यादव इस महत्वपूर्ण विभाग को समय ही नहीं दे पा रहे हैं और प्रदेश में नक्सली तक अपने पैर पसारने लगे हैं। पिछले महीने ही बालाघाट जिले में नक्सली मूवमेंट देखा गया था। जहां तक जनसंपर्क

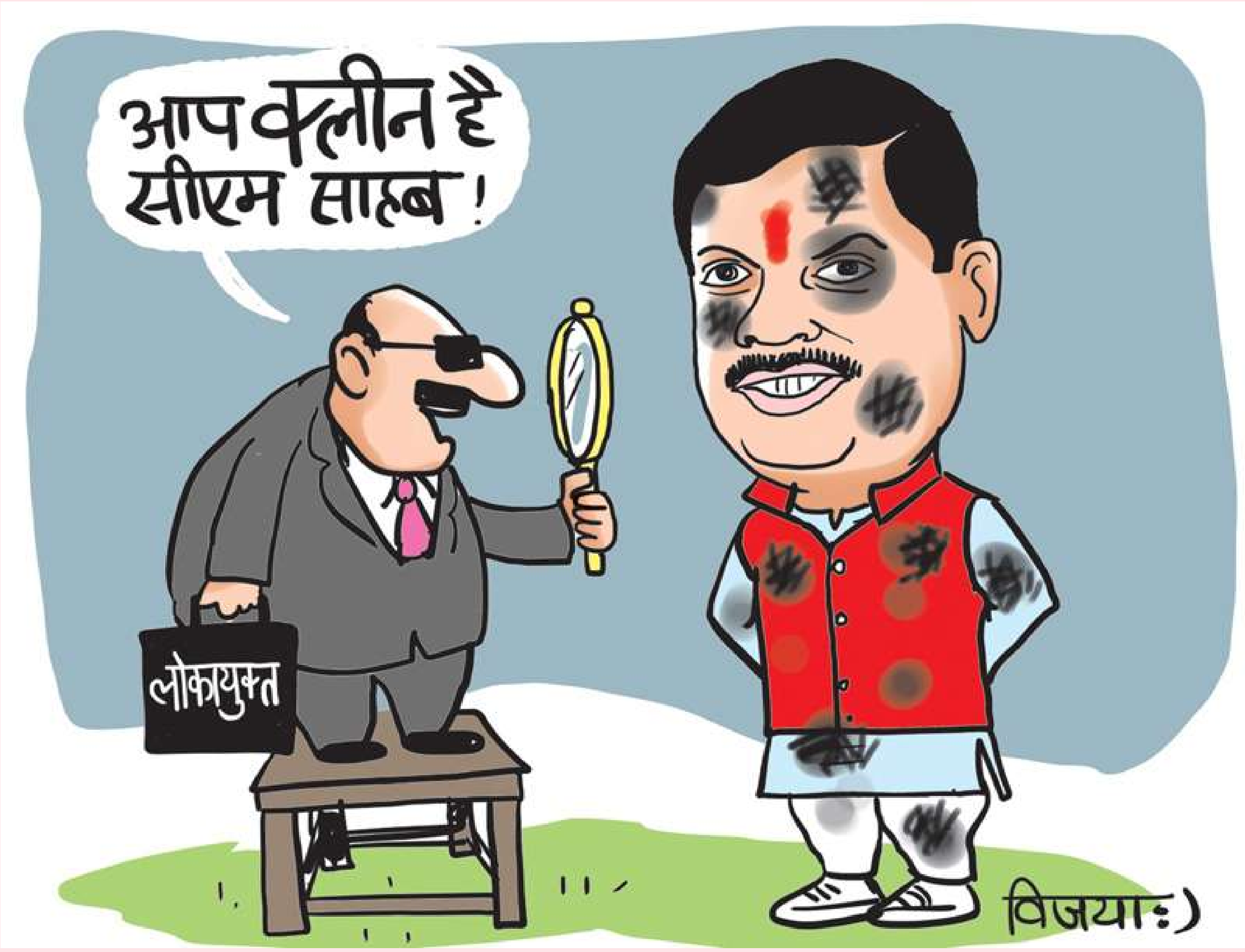

आवंटन किया गया। जबकि इस निविदा में फेरो कांक्रीट कन्स्ट्रक्शन (इंडिया) प्रा.लि. द्वारा निम्नतम राशि रूपये 8,95,00,000/- डाली गयी। जो कि अधिसूचित राशि से काफी अधिक है। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांवराखेड़ी ब्रिज निर्माण के संबंध में तत्कालीन अध्यक्ष मोहन यादव व मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवध श्रोत्रिय ने शासन के समस्त नियमों, निर्देशों, परिपत्र, आदेशों व मापदंडों का पूरी तरह खुलेआम उल्लंघन कर शासन को चुनौती दे डाली है और शासन को करोड़ों रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई है क्योंकि पूर्व की लागत में होने वाले कार्य की राशि कई गुना बिना संचालक मंडल की स्वीकृति के बढ़ा दी गई व कालांतर में आपत्ति लेने वाले तत्कालीन उपाध्यक्ष वीरेन्द्र कावड़िया की

विभाग की बात की जाये तो प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब जनसंपर्क विभाग में अव्यवस्थित तरीके से कामकाज चल रहा है। जो पत्रकार सरकार में पनपे भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते हैं या दिखाते हैं उनकी अधिमान्यता तक खत्म करने की ओछी हरकत की जा रही है। 06-06 महीनों तक विज्ञापनों का पेमेंट नहीं हो रहा है। छोटे-छोटे अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं

आपत्ति को भी दरकिनार कर दिया गया। जिसकी बानगी नीचे पेश है। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.04.2008 को नई दुनिया समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्ति आहुत की गई थी इसके विरूद्ध दिनांक 05.04.2008 को नियत समयावधि में ही तत्कालीन प्राधिकरण उपाध्यक्ष वीरेन्द्र कावड़िया ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन विकास प्राधिकरण को लिखित पत्र के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत की परंतु उसे दरकिनार कर दिया गया, जबकि आपत्ति के आधार आगे के बिंदुओं में प्रस्तुत है।

उक्त विज्ञप्ति में आपत्ति लगाकर व्यक्त किया गया कि:-

सूचना के अधिकार के तहत जाहिर सूचना में प्रकाशित जानकारी में यह जानकारी दी गई है कि उक्त पुल के कार्य की दर से रूपये 8,95,00,000/- स्वीकृत की गई है जो कि आपत्तिजनक है क्योंकि दिनांक 28.03.2008 की बोर्ड बैठक में ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी सिर्फ चर्चा की गई थी। यह उल्लेख स्वयं कावड़िया ने अपनी आपत्ति में किया है। कावड़िया द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि- बैठक में मेरे द्वारा सुझाव दिया गया था कि उक्तपुल को किसी भी हालत में प्राधिकरण की निधि से नहीं बनाया जावे तथा केंद्र शासन के जेएनएनयूआरएम मिशन

को साल में दो बार भी विज्ञापन नहीं मिल रहा है। विभाग में बैठे अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाकर पत्रकारों को परेशान करने पर तुले हैं। विज्ञापनों पर करोड़ों रूपये फूंकने के बाद भी सरकार की छबि धूमिल हो रही है। क्योंकि ज्यादातर पत्रकार सरकार की नीति और नियत से परेशान हैं। विभाग के मुखिया मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। या कहे तो उन्हें ध्यान देने के लिए

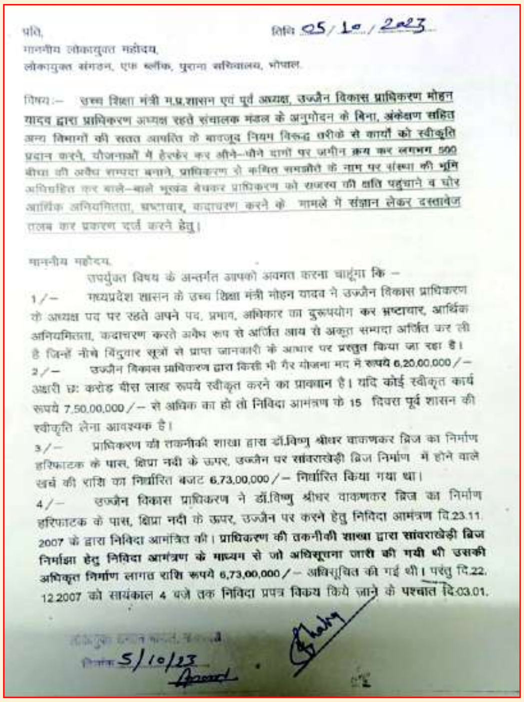

प्रति,
माननीय लोकायुक्त महोदय,
लोकायुक्त संगठन, एफ ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल

दिनांक 05/10/2023

विषय :- उच्च शिक्षा मंत्री म.प्र.शासन एवं पूर्व अध्यक्ष, उज्जैन विकास प्राधिकरण मोहन यादव द्वारा प्राधिकरण अध्यक्ष रहते संचालक मंडल के अनुमोदन के बिना, अंकेक्षण सहित अन्य विभागों की सतत आपत्ति के बावजूद नियम विरुद्ध तरीके से कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने, योजनाओं में हेरफेर कर औने-पौने दामों पर जमीन क्रय कर लगभग 500 बीघा की अवैध सम्पदा बनाने, प्राधिकरण से कथित समझौते के नाम पर संस्था की भूमि अधिग्रहित कर बाले-बाले भूखंड बेचकर प्राधिकरण को राजस्व की क्षति पहुंचाने व घोर आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, कदाचरण करने के मामले में संज्ञान लेकर दस्तावेज तलब कर प्रकरण दर्ज करने हेतु।

माननीय महोदय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत आपको अवगत करना चाहूंगा कि -

1/- मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर रहते अपने पद, प्रभाव, अधिकार का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, कदाचरण करते अवैध रूप से अर्जित आय से अकूत सम्पदा अर्जित कर ली है जिन्हें नीचे बिंदुवार सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

2/- उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी गैर योजना मद में रूपये 6,20,00,000/- अक्षरी छः करोड़ बीस लाख रूपये स्वीकृत करने का प्रावधान है। यदि कोई स्वीकृत कार्य रूपये 7,50,00,000/- से अधिक का हो तो निविदा आमंत्रण के 15 दिवस पूर्व शासन की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

3/- प्राधिकरण की तकनीकी शाखा द्वारा डॉ.विष्णु श्रीधर वाकणकर ब्रिज का निर्माण हरिफाटक के पास, क्षिप्रा नदी के ऊपर, उज्जैन पर सांवराखेड़ी ब्रिज निर्माण में होने वाले खर्च की राशि का निर्धारित बजट 6,73,00,000/- निर्धारित किया गया था।

4/- उज्जैन विकास प्राधिकरण ने डॉ.विष्णु श्रीधर वाकणकर ब्रिज का निर्माण हरिफाटक के पास, क्षिप्रा नदी के ऊपर, उज्जैन पर करने हेतु निविदा आमंत्रण दि.23.11.2007 के द्वारा निविदा आमंत्रित की। प्राधिकरण की तकनीकी शाखा द्वारा सांवराखेड़ी ब्रिज निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण के माध्यम से जो अधिसूचना जारी की गयी थी उसकी अधिकृत निर्माण लागत राशि रूपये 6,73,00,000/- अधिसूचित की गई थी। परंतु दि.22.12.2007 को सायंकाल 4 बजे तक निविदा प्रपत्र विक्रय किये जाने के पश्चात दि.03.01.

दिनांक 5/10/23

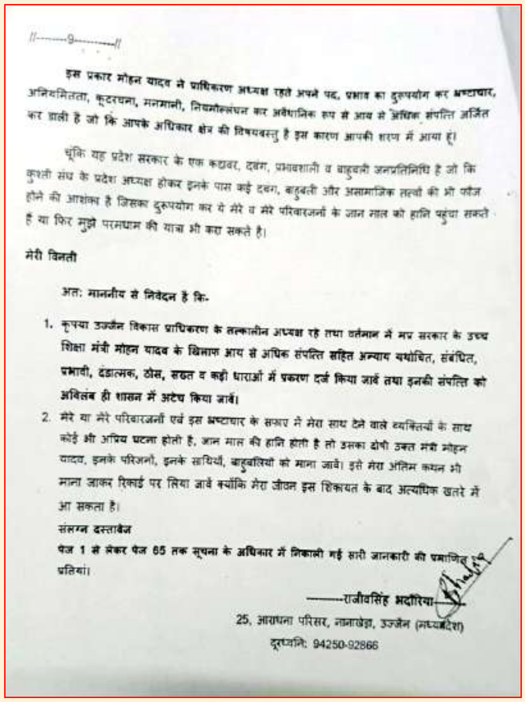

//--------9--------//

इस प्रकार मोहन यादव ने प्राधिकरण अध्यक्ष रहते अपने पद, प्रभाव का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार, अनियमितता, कूटरचना, मनमानी, नियमोल्लंघन कर अवैधानिक रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर डाली है जो कि आपके अधिकार क्षेत्र की विषयवस्तु है इस कारण आपकी शरण में आया हूं।

चूंकि यह प्रदेश सरकार के एक कद्दावर, दबंग, प्रभावशाली व बाहुबली जनप्रतिनिधि है जो कि कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष होकर इनके पास कई दबंग, बाहुबली और असामाजिक तत्वों की भी फौज होने की आशंका है जिसका दुरूपयोग कर ये मेरे व मेरे परिवारजनों के जान माल को हानि पहुंचा सकते हैं या फिर मुझे परमधाम की यात्रा भी करा सकते है।

मेरी विनती

अतः माननीय से निवेदन है कि-

1. कृपया उज्जैन विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष रहे तथा वर्तमान में मप्र सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति सहित अन्याय यथोचित, संबंधित, प्रभावी, दंडात्मक, ठोस, सख्त व कड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जावें तथा इनकी संपत्ति को अविलंब ही शासन में अटेच किया जावें।
2. मेरे या मेरे परिवारजनों एवं इस भ्रष्टाचार के समर में मेरा साथ देने वाले व्यक्तियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है, जान माल की हानि होती है तो उसका दोषी उक्त मंत्री मोहन यादव, इनके परिजनों, इनके साथियों, बाहुबलियों को माना जावे। इसे मेरा अंतिम कथन भी माना जाकर रिकार्ड पर लिया जावें क्योंकि मेरा जीवन इस शिकायत के बाद अत्यधिक खतरे में आ सकता है।

संलग्न दस्तावेज

पेज 1 से लेकर पेज 65 तक सूचना के अधिकार में निकाली गई सारी जानकारी की प्रमाणित प्रतियां।

-------राजीवसिंह भदौरिया

25, आराधना परिसर, नानाखेड़ा, उज्जैन (मध्यप्रदेश)

दूरध्वनि: 94250-92866

यह व पत्र है जिसे लोकायुक्त को लिखा गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अवैधानिक रूप से अपने पद पर रहते हुए कार्य किया।

योजना के तहत बनाया जावें अन्यथा प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति खराब हो जावेगी। कावड़िया द्वारा यह भी आपत्ति की गई कि- मेरी इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त कार्य हेतु बोर्ड की स्वीकृति के बिना संबंधित ठेकेदार को कार्य स्वीकृति पत्र जारी किया गया है जो कि घोर अनियमितता है। विज्ञप्ति में 8 करोड़ 95 लाख की स्वीकृति की गई है जबकि शासन से 6 करोड़ 20 लाख की स्वीकृति प्राप्त की गई है। यहां पर यह भी भ्रष्टाचार प्राप्त हुआ कि स्वीकृत राशि से अधिक राशि प्राधिकरण ने गैर योजना मद से दुरूपयोग की और तो और उक्त ठेकेदार कंपनी को संपूर्ण ब्रिज निर्माण व लिंक रोड़ के एवज में 10 करोड़ से उपर की लागत से ज्यादा खर्च कर बना दिया गया जो कि भ्रष्टाचार है। खर्च की गई अतिरिक्त राशि कहा से प्राप्त की गयी, इस स्त्रोत का उल्लेख नहीं है। यह भ्रष्टाचार का सूचक है।

मोहन यादव ने आगे भी बहाई है भ्रष्टाचार की नदी

उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम लालपुर, उज्जैन, जिला उज्जैन के विभिन्न सर्वे कमांकों की भूमि पर आवासीय योजना कमांक पी-2/87 प्रस्तावित की गई थी। धारा 50 (7) के अन्तर्गत नियमानुसार सुनवाई आदि की कार्यवाही की जाकर योजना का अंतिम प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12.04.1991 को किया गया था। योजना का क्षेत्रफल 12.688 हेक्टेयर था। भू अर्जन अधिकारी द्वारा कुल 12.374 हेक्टेयर निजी भूमि का मुआवजा रूपये 1,17,91,421 /- अवार्ड दि.29.07.2004 को पारित किया गया था।

इस अवार्ड में समाविष्ट 12.374 हेक्टेयर भूमि में से निम्न भूमि का आधिपत्य माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा याचिका

समय ही नही है। अन्य मलाईदार विभाग, जिनके मुखिया खुद मोहन यादव हैं। मुख्यमंत्री मलाई खाने के चक्कर में राजस्व का पलीता लगा रहे हैं। खनिज जैसे महत्वत्वपूर्ण विभाग, जिससे प्रदेश को काफी राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी झोली भरने के चक्कर में खनिजों की लूट की खुली छूट दे रखी हैं। प्रदेश में बड़े स्तर पर अवैध उत्खनन का

क्रमांक 1211/99 में पारित आदेश दि.08.09.1999 के आलोक में प्राप्त नहीं हुआ। जिसमें अंबेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित की 1.238 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित है।

उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक 1211/99 समझौते के आधार पर वापस ली जाने के उपरांत ही समझौता उक्तसंस्था व प्राधिकरण के मध्य प्रभावशील हुआ है व दिनांक 24 अप्रैल 04 के समझौता क्रमांक 3923 में दिनांक 20 मई 04 को संशोधन कर त्रुटियों में सुधार किया गया।

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार यह परिलक्षित होता है कि योजना क्रमांक पी-2/87 में समाविष्ट जिन भूमियों के संबंध में अंबेश गृह निर्माण सहकारी संस्था से समझौता/अनुबंध किया गया है वे भूमियां उक्त संस्था द्वारा वर्ष 1989 से वर्ष 1999 के मध्य धारा 50 (2) निवेश अधिनियम की विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात क्रय अनुबंध की गई भूमियां है।

अंबेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित से उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित भूमि ग्राम लतालपुर के खसरा नंबर 44 मीन 50/1, 50/2, 50/3,50/4, 51, 52/1 एवं 52/2 की अतिशेष (कालांतर में निजी घोषित) भूमि योजना कमांक पी 2/87 की अंतिम योजना की विज्ञप्ति अर्थात धारा 50 (7) निवेश अधिनियम की विज्ञप्ति में समाविष्ट है।

कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन के द्वारा उपरोक्त खसरा नंबरों की भूमि के संबंध में मुआवजे का अवार्ड दिनांक 29.07.2000 को पारित किया गया। अवार्ड अनुसार निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 1,17,91,421 / प्राधिकरण द्वारा भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में जमा की गई है। इसमें उस भूमि का मुआवजा भी शामिल है जिसके संबंध में संस्था से समझौता (अनुबंध) किया गया है।

अंबेश गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा योजना एवं भू अर्जन की कार्यवाही को चुनौती देते हुए प्रस्तुत याचिका डब्ल्यूपी कमांक 1211/99 में खसरा नंबर 44, 50/1,50/2, 50/3, 50/4, 51, 52/1 एवं 52/2 कुल रकबा 3.119 हेक्टे. भूमि के संबंध में मा.उच्च न्यायालय से सहायता चाही गई थी तथा उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देने से उक्त 3.119 हे. भूमि का आधिपत्य प्राधिकरण को भू अर्जन अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा नहीं दिलाया गया था।

मा. उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दि.08.09.99 के द्वारा याचिकाकर्ता को याचिका में उल्लेखित भूमि से बेदखल नहीं किया जाना आदेशित किया गया।

उपरोक्त उल्लेखित याचिका के आधार पर भूमि के संबंध में कथित समझौता किए जाने की कार्यवाही की गई। मान. उच्च न्यायालय के प्रकरण के तारतम्य में विभिन्न समयों में मूल समझौता अनुबंध एवं तत्पश्चात संशोधित अनुबंध करते हुए 7.657 हे. भूमि के लिए अनुबंध संपादित किये गये, जिसके खसरा नंबर 52 मीन रकबा 0.967 हे. योजना से बाहर की भूमि भी सम्मिलित की गई तथा अवार्ड से प्राप्त आधिपत्य की भूमि भी सम्मिलित कर ली गई थी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि संस्था के रिकार्ड एवं दस्तावेज से पुष्टि की जा सकती है कि कथित समझौता अनुबंध किया जाने के संबंध में प्राधिकारी बोर्ड के समक्ष न तो कोई प्रस्ताव रखा गया और न ही कोई ठहराव पारित किया गया।

योजनाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार, कदाचरण, मनमानी, हेरफेर, योजना लागू करके उसमें बदलाव करके मोहन यादव ने अवैधानिक रूप से अर्जित आय से अकूत सम्पदा बना डाली है जैसा कि मोहन यादव ने सांवराखेड़ी ब्रिज की योजना लांच कर दी और सस्ते दामों में किसानों से जमीन लेकर योजना निरस्त कर दी। इस दौरान तत्कालीन मोहन यादव ने स्वयं व अपने परिवारजनों, चहेतों तथा शहर के भू माफियाओं, बिल्डरों के नाम से सांवराखेड़ी में करीबन 500 बीघा से अधिक भूमि खरीद डाली। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके द्वारा चुनाव में दिये गये हलफनामे में लगातार इनकी सम्पत्ति बढ़ती हुई दिखाई जा रही है जबकि उक्त दर्शित सम्पत्ति के अलावा भी इनके स्वयं, इनके परिवारजनों, रिश्तेदारों, भू-माफियाओं सहित अन्य बेनामी लोगों के नाम से इन्होंने करीबन 5000 करोड़ की सम्पत्ति मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में कमा डाली है।

धंधा फल फूल रहा है। वैसे भी मोहन यादव पर बदनुमा दाग लगा है कि वह भोपाल से ज्यादा समय उज्जैन में बिताते हैं। इसके उपर यह और है कि मोहन यादव महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया बने बैठे हैं। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि समय न होने के कारण मुख्यमंत्री अपने विभागों की समीक्षा महीनों तक नहीं करते हैं। जिसके कारण फाइलें मूव ही नही होती हैं। फाइलें मूव नही होती तो

मोदी को मोहित करने में लगे मोहन यादव
समिट की आड़ में मोहन यादव कर रहे अपनी ब्रांडिंग

भोपाल में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का आयोजन हुआ। इस आयोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इसके साथ ही देश-विदेश के कई निवेशक, उद्योगपति भी समिट में आये। एक आंकलन के अनुसार इस समिट के लिए मोहन यादव सरकार ने लगभग 1500 करोड़ खर्च किये हैं। यह राशि मध्यप्रदेश जैसे कर्जेलू राज्य के लिए काफी होती है लेकिन मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को मोहित करने और अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए सरकार का खजाना ही खोल दिया है। भले ही यह खजाना कर्ज से भरा हो। जबकि आज प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि प्रदेश सरकार प्रतिमाह 05 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है। दरअसल समिट तो एक बहाना है, मोहन यादव को इस बहाने अपनी ब्रांडिंग करना थी। और मध्यप्रदेश में जितनी भी समिट हुई हैं उनके खर्चों को निकाला जाये तो उतनी राशि में तो प्रदेश में नये उद्योग स्थापित हो सकते थे। हम जानते हैं कि किसी भी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को

कामकाज बाधित होता है। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री

इतने सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हुए हैं। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान

अपने पास नीतिगत मामलों के विभाग, सामान्य प्रशासन और नर्मदा विकास

रोजगार देना और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना होना चाहिए। इससे पहले भी दर्जनों समिट हुई हैं। यदि इन समिट के परिणाम देखें तो तस्वीर कुछ दूसरी ही नजर आती है। आंकड़ों में भले ही बताया जाता है कि प्रदेश में प्रत्येक समिट से लाखों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव आये हैं। लाखों युवाओं को रोजगार मिला है लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो तस्वीर काफी धुंधली नजर आती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से विकास नहीं होगा जब तक कि उन पर धरातल पर प्रभावी अमल नहीं किया जाता। पिछले इन्वेस्टर समिट में जो वादे किए गए थे वे आज तक अधूरे हैं। कई उद्योगों की घोषणाएँ की गईं, लेकिन ज्यादातर या तो शुरू ही नहीं हो पाईं या फिर अधर में लटकी रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा आयोजित 06 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सवाल उठाए हैं।

पिछली समिट का आउटपुट क्या निकला ?

अगर हम 2003 से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का रिकॉर्ड देखें, तो जमीनी स्तर पर सफलता दर शून्य प्रतीत होती है। 2003 से 2016 तक पहले पांच निवेशक सम्मेलनों में 17.50 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों का दावा किया गया था। इसके बाद 2023 में इंदौर में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 15.40 लाख करोड़ रूपये के निवेश का दावा किया। यानी लगभग 32 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश की धरती पर आने का दावा किया गया था। जबकि हकीकत यह है कि 2003 से 2023 तक केवल 3.47 लाख करोड़ रुपये ही आए, जो सरकार द्वारा प्राप्त कुल निवेश प्रस्तावों का केवल 10 प्रतिशत है। 06 समिट के कुल निवेश का केवल 10 प्रतिशत काम हुआ। 29 लाख रोजगार का दावा था, मिले सिर्फ 38 हजार। एसोचैम की अगस्त 2024 की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में अधिकांश नए निवेश अभी शुरू नहीं हुए। पिछले वित्त वर्ष में नए निवेश में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है।

आखिर इतना खर्च कर क्या होगा फ ायदा ?

विशेषज्ञों की मानें तो जब मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले एक साल में सात संभागीय मुख्यालयों में क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित किये और इतनी बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त किये तो फिर जीआईएस की आवश्यकता क्यों पड़ी। जीआईएस का आयोजन कहीं न कहीं एक ओर यह साबित करता है कि सरकार और मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय समिट के नाम से जो भी घोषणाएं निवेश प्राप्ति को लेकर की है वह सभी खोखली हैं और अब उन पर पर्दा डालने के लिये जीआईएस के आयोजन की श्रृंखला शुरूकी है। एक बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर जीआईएस जैसे इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता क्यों है।

प्राधिकरण जैसे विभाग ही रखते थे। लेकिन मोहन यादव एक ऐसे राज्य के प्रमुख हैं जो अपने पास गृह एवं खनिज, जेल, वन एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हुए हैं। मोहन यादव की नई परंपरा के कारण न तो सरकार का संचालन ठीक से हो

नई शराब नीति लाकर प्रदेश को नशे में धकेलने का पाप कर रहे मुख्यमंत्री

शराब बंदी आज के भारत में समाज उत्थान के लिए काफी जरूरी है। नशामुक्त समाज आदर्श राष्ट्र की कल्पना का पहला पड़ाव है। मध्य प्रदेश में जो आंशिक शराब बंदी हुई है वो पैसे कमाने का जरिया नजर आ रहा है। इसका एक उदाहरण उज्जैन है, जहां पर सत्ता का परम आशीर्वाद लिए एक परिवार शराब से प्रतिदिन 15-20 लाख की कमाई कर रहा है, प्रत्येक बोतल से 40-50 रूपये इस परिवार के पास ज़ाते हैं, वैसे भी शराब से संबंधित व्यापार से इनका पुराना नाता है। ऐसे में प्रदेश में 19 धर्म क्षेत्र प्रतिदिन करोड़ों की आसान कमाई का जरिया नजर आ रहा है। प्रदेश को नशामुक्त बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के 19 धार्मिक स्थलों पर पूर्ण शराब बंदी का फैसला किया है। शराब बंदी का यह फैसला लेकर मोहन यादव ने पूरे देश में खूब वाहवाही लूट तो ली है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी का यह फैसला सिर्फ 19 स्थानों पर ही क्यों लिया। क्या सिर्फ इन्हीं 19 स्थानों में लोग शराब पीते हैं बाकी जिलों में शराब का उपयोग करने वाले लोगों, उनके परिवारों की चिंता कौन करेगा। मुख्यमंत्री का यह रवैया इस बात की ओर इशारा करता है कि मुख्यमंत्री यादव की शराबबंदी को लेकर कुछ और मंशा है। जबकि गुजरात में देखा जाए तो मोदी सरकार के समय से ही सही योजनाबद्ध ढंग से शराब बंदी का फैसला लेकर इसे बेहतर ढंग से लागू किया गया।

रहा है और न ही मंत्रीमंडल के अपने साथियों के साथ बेहतर तालमेल हो पा रहा है। आज प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रशासन स्तर पर तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। इसके अलावा मंत्रीमंडल के साथियों के साथ भी मोहन यादव बेहतर तालमेल नहीं बिठा पा रहे

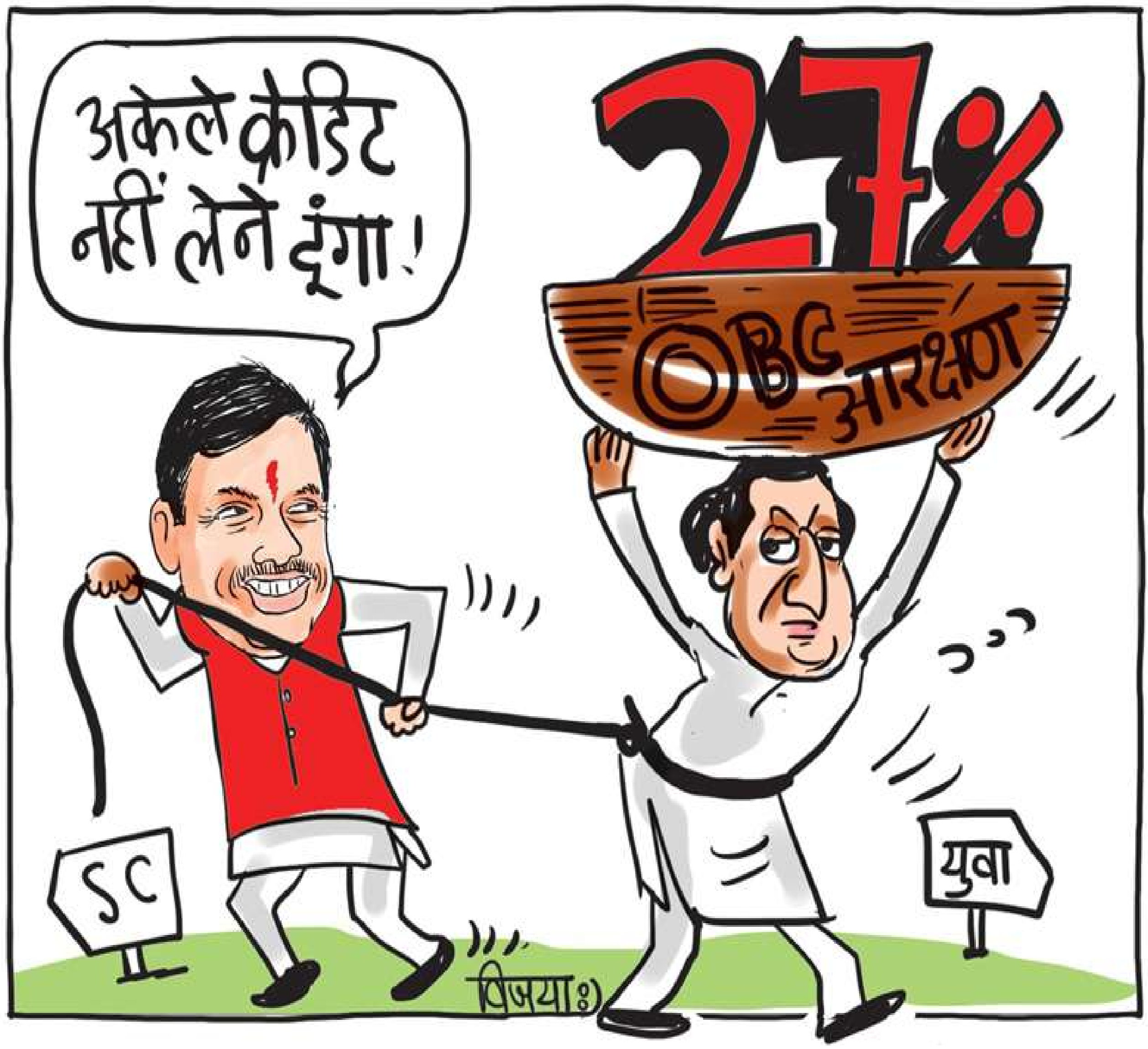

हैं। और उनके मंत्रालय के कामकाज में भी अड़ंगा लगाकर माहौल को खराब करते हैं। कई अनुभवी मंत्री मुख्यमंत्री के बर्ताव से नाराज दिखाई देते हैं। विभाग के प्रमुखों के साथ भी मोहन यादव अभद्र व्यवहार करते हैं। अन्य बीजेपी राज्यों की बात की जाये तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने भी अपने पास महत्वपूर्ण विभाग नही रखे हैं।

15 माह के शासन में मोहन यादव ने मचाया हाहाकार

प्रदेश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लिया जिले का प्रभार

राजनैतिक विश्लेषकों की मानें तो मध्यप्रदेश की स्थापना के बाद से लेकर अभी तक का इतिहास अगर देखा जाये तो यह पहला अवसर है जब मध्यप्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने जिले का प्रभार अपने

मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उज्जैन की पत्रकार रेखा गोस्वामी गायब

रेखा गोस्वामी के घरवालों ने करायी गायब होने की एफआईआर दर्ज

गायब होने के पहले रेखा गोस्वामी ने जताई थी हत्या की आशंका

हाल ही में सबसे भयभीत और विचलित करने वाला मामला सामने आया है। यह मामला है उज्जैन की पत्रकार रेखा गोस्वामी का। रेखा गोस्वामी उज्जैन की दबंग पत्रकार हैं। अपने साप्ताहिक अखबार अभय आवाज में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की खबरें प्रकाशित करती रही हैं। लेकिन रेखा गोस्वामी की साहसी पत्रकारिता से कई लोग परेशान होते रहे हैं। इनमें से एक नाम वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी है। मोहन

पास रखा है। यही नहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह निर्णय किस उद्देश्य के साथ लिया गया है यह भी जगजाहिर हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुखिया होता है। ऐसे में किसी जिले का प्रभार लेना न तो नियमानुसार ठीक है और न ही संवैधानिक रूप से उचित है क्योंकि मुख्यमंत्री को पूरे समय प्रदेश के विकास और जनकल्याण की दिशा में कार्य करना

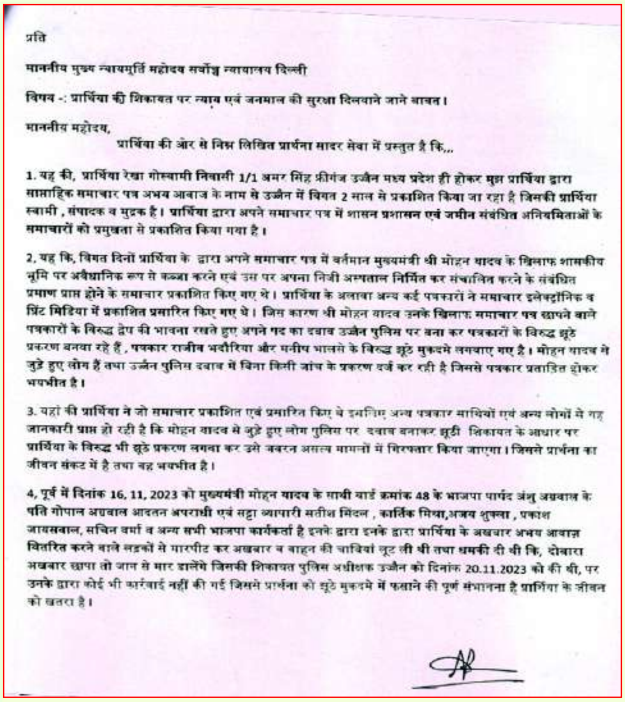

प्रति

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली

विषय -: प्रार्थिया की शिकायत पर न्याय एवं जनमाल की सुरक्षा दिलवाने जाने बावत।

माननीय महोदय,

प्रार्थिया की ओर से निम्न लिखित प्रार्थना सादर सेवा में प्रस्तुत है कि,,,

1. यह की, प्रार्थिया रेखा गोस्वामी निवासी 1/1 अमर सिंह फ्रीगंज उज्जैन मध्य प्रदेश ही होकर मुझ प्रार्थिया द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र अभय आवाज के नाम से उज्जैन में विगत 2 साल से प्रकाशित किया जा रहा है जिसकी प्रार्थिया स्वामी , संपादक व मुद्रक है। प्रार्थिया द्वारा अपने समाचार पत्र में शासन प्रशासन एवं जमीन संबंधित अनियमिताओं के समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है।

2. यह कि, विगत दिनों प्रार्थिया के द्वारा अपने समाचार पत्र में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के खिलाफ शासकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने एवं उस पर अपना निजी अस्पताल निर्मित कर संचालित करने के संबंधित प्रमाण प्राप्त होने के समाचार प्रकाशित किए गए थे। प्रार्थिया के अलावा अन्य कई पत्रकारों ने समाचार इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मिडिया में प्रकाशित प्रसारित किए गए थे। जिस कारण श्री मोहन यादव उनके खिलाफ समाचार पत्र छापने वाले पत्रकारों के विरुद्ध द्वेष की भावना रखते हुए अपने पद का दबाव उज्जैन पुलिस पर बना कर पत्रकारों के विरुद्ध झूठे प्रकरण बनवा रहे हैं , पत्रकार राजीव भदौरिया और मनीष भालसे के विरुद्ध झूठे मुकदमे लगवाए गए है। मोहन यादव से जुड़े हुए लोग हैं तथा उज्जैन पुलिस दबाव में बिना किसी जांच के प्रकरण दर्ज कर रही है जिससे पत्रकार प्रताड़ित होकर भयभीत है।

3. यहां की प्रार्थिया ने जो समाचार प्रकाशित एवं प्रसारित किए थे इसलिए अन्य पत्रकार साथियों एवं अन्य लोगों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि मोहन यादव से जुड़े हुए लोग पुलिस पर दबाव बनाकर झूठी शिकायत के आधार पर प्रार्थिया के विरुद्ध भी झूठे प्रकरण लगवा कर उसे जबरन असत्य मामलों में गिरफ्तार किया जाएगा। जिससे प्रार्थना का जीवन संकट में है तथा वह भयभीत है।

4. पूर्व में दिनांक 16. 11. 2023 को मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथी वार्ड क्रमांक 48 के भाजपा पार्षद अंशु अग्रवाल के पति गोपाल अग्रवाल आदतन अपराधी एवं सट्टा व्यापारी सतीश मिंदल , कार्तिक मिश्रा,अजय शुक्ला , प्रकाश जायसवाल, सचिन वर्मा व अन्य सभी भाजपा कार्यकर्ता है इनके द्वारा इनके द्वारा प्रार्थिया के अखबार अभय आवाज़ वितरित करने वाले लड़कों से मारपीट कर अखबार व वाहन की चाबियां लूट ली थी तथा धमकी दी थी कि, दोबारा अखबार छापा तो जान से मार डालेंगे जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक उज्जैन को दिनांक 20.11.2023 को की थी, पर उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जिससे प्रार्थना को झूठे मुकदमे में फसाने की पूर्ण संभावना है प्रार्थिया के जीवन को खतरा है।

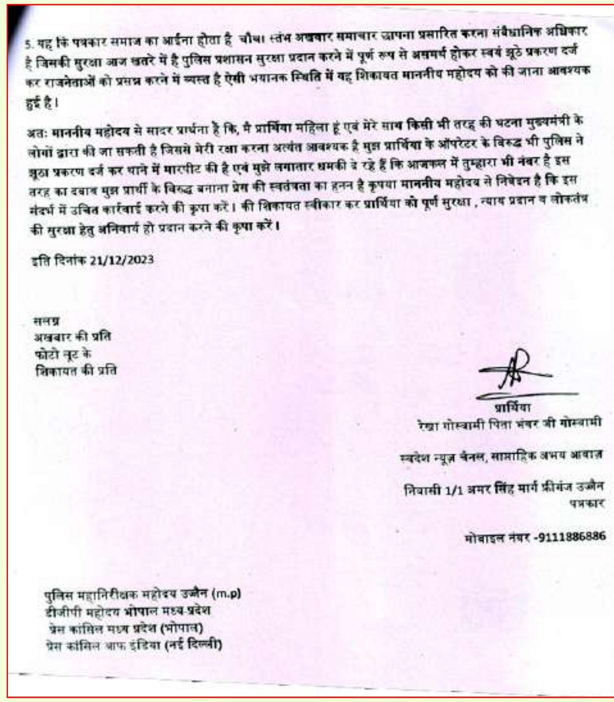

5. यह कि पत्रकार समाज का आईना होता है चौथा स्तंभ अखबार समाचार छापना प्रसारित करना संवैधानिक अधिकार है जिसकी सुरक्षा आज खतरे में है पुलिस प्रशासन सुरक्षा प्रदान करने में पूर्ण रूप से असमर्थ होकर स्वयं झूठे प्रकरण दर्ज कर राजनेताओं को प्रसन्न करने में व्यस्त है ऐसी भयानक स्थिति में यह शिकायत माननीय महोदय को की जाना आवश्यक हुई है।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि, मैं प्रार्थिया महिला हूं एवं मेरे साथ किसी भी तरह की घटना मुख्यमंत्री के लोगों द्वारा की जा सकती है जिससे मेरी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है मुझ प्रार्थिया के ऑपरेटर के विरुद्ध भी पुलिस ने झूठा प्रकरण दर्ज कर थाने में मारपीट की है एवं मुझे लगातार धमकी दे रहे हैं कि आजकल में तुम्हारा भी नंबर है इस तरह का दबाव मुझ प्रार्थी के विरुद्ध बनाना प्रेस की स्वतंत्रता का हनन है कृपया माननीय महोदय से निवेदन है कि इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। की शिकायत स्वीकार कर प्रार्थिया को पूर्ण सुरक्षा , न्याय प्रदान व लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु अनिवार्य हो प्रदान करने की कृपा करें।

इति दिनांक 21/12/2023

सलग्न
अखबार की प्रति
फोटो नूट के
शिकायत की प्रति

प्रार्थिया
रेखा गोस्वामी पिता भंवर जी गोस्वामी

स्वदेश न्यूज़ चैनल, साप्ताहिक अभय आवाज़

निवासी 1/1 अमर सिंह मार्ग फ्रीगंज उज्जैन
पत्रकार

मोबाइल नंबर -9111886886

पुलिस महानिरीक्षक महोदय उज्जैन (m.p)
डीजीपी महोदय भोपाल मध्य-प्रदेश
प्रेस कांसिल मध्य प्रदेश (भोपाल)
प्रेस कांसिल आफ इंडिया (नई दिल्ली)

यह वह पत्र है जो रेखा गोस्वामी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति को लिखा था, जिसमें उल्लेखित किया गया कि मुझे न्याय और जानमाल की सुरक्षा प्रदान की जाये।

यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले रेखा गोस्वामी ने अपने अखबार में इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की काफी खबरें प्रकाशित की थी। लेकिन जैसे ही मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उन्होंने एक-एक कर अपने खिलाफ लिखने वालों को खत्म करने का काम शुरू कर दिया। उनमें रेखा गोस्वामी भी हैं। रेखा गोस्वामी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से गायब है। वह कहां है, किस हालात में हैं और जिंदा भी हैं कि नहीं, किसी को पता नहीं है। वह पिछले 15 महीने से गायब है। उनके घरवालों ने उज्जैन के थाने में गायब होने की एफ आईआर भी दर्ज की है। अब तो घरवालों को रेखा की चिंता सताने लगी है। उनके डरने का आलम यहां तक है कि वह इस विषय में भी किसी से भी बात करने से कतराते हैं।

पत्रकार रेखा गोस्वामी ने जताई थी हत्या की आशंका

रेखा गोस्वामी एक महिला पत्रकार हैं तथा फ्रीगंज (उज्जैन) में निवास करती हैं। इनके पास साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र अभय आवाज का प्रकाशन स्वामित्व व संपादक की जिम्मेदारी है। गायब होने से पहले रेखा गोस्वामी ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने मोहन यादव के खिलाफ काफी कुछ प्रकाशित किया था। शायद रेखा को तब से ही अपनी हत्या की आशंका हो गई होगी।

होता है। ऐसे में जिले का प्रभार लेकर वे कैसे अन्य जिलों के साथ न्याय कर सकते हैं।

मोहन सरकार के लिए वर्चस्व का मुद्दा बन गया है ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू न किये जाने वाली याचिका को निरस्त कर दिया

Date - 20/11/23

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला उज्जैन (म.प्र.)

विषय :– शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने व जानमाल की सुरक्षा करने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं रेखा गोस्वामी सैटेलाइट रीजनल स्वदेश न्यूज चैनल की पत्रकार हूं तथा फ्रीगंज (उज्जैन) में निवास करती हूं। मेरे पास साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र अभय आवाज का प्रकाशन स्वामित्व व संपादक की जिम्मेदारी है। 16 नवंबर 2023 को इंदौर रोड पर हॉकर्स द्वारा साप्ताहिक अखबार अभय आवाज का वितरण किया जा रहा था। महामृत्युंजय गेट से हॉकर लौट रहे थे तभी बीच सड़क पर वार्ड क्रमांक 48 के बीजेपी पार्षद अंशु अग्रवाल के पति गोपाल अग्रवाल, कार्तिक मिश्रा, अजय शुक्ला, सचिन वर्मा, सोनू बिजोलिया, सतीश सिंदल, गजेंद्र खत्री, प्रकाश जायसवाल और अन्य लोग आए और दोनों हॉकर के साथ रास्ता रोककर मारपीट की और गालियां देते हुए बोले हमारे खिलाफ छापकर अखबार बेचते हो। इन लोगों ने अखबार का बंडल लूट लिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चाबियां भी ले गए। इस दौरान जब लोग इनका वीडियो बनाने लगे तो जाते–जाते उन्होंने धमकी दी कि हमारे खिलाफ छापा तो जान से मार देंगे। गोपाल अग्रवाल, कार्तिक मिश्रा, अजय शुक्ला, सचिन वर्मा, सोनू बिजोरिया, सतीश सिंदल, गजेंद्र खत्री, प्रकाश जायसवाल आपराधिक प्रवृत्ति के लोग है। इनके खिलाफ केस दर्ज है। इनसे मुझे व साथियों को जान का खतरा है। अतः शिकायत करती हूं कि कार्रवाई कर मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि यह लोग कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हैं या करवा सकते हैं। पिछले कई दिनों से कुछ लोग मुझे फोन पर भी धमकियां दे रहे हैं और मेरे कार्यालय के आसपास कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधि भी दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने विधायक मोहन यादव से संबंधित तथ्यात्मक खबर अपने अखबार अभय आवाज में प्रकाशित की थी इसलिए डॉ. मोहन यादव गुट के कुछ लोग मुझसे रंजिश रखते हैं। वे लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं। अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार

शिकायत शाखा

20/11/23

की घटना या दुर्घटना कारित होती है तो उसके लिए भाजपा विधायक डॉ. मोहन यादव पिता पूनम यादव निवासी उज्जैन व उनका परिवार जिम्मेदार रहेगा।

दिनांकः– 20.11.2023

आवेदक

रेखा गोस्वामी

संपादक, साप्ताहिक अभय आवाज
समाचार पत्र, उज्जैन (म.प्र.)

मोबाइल– 9111886886

प्रतिलिपिः–

1. डीजी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
2. निर्वाचन आयोग, भोपाल
3. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नईदिल्ली
4. पीएमओ, नईदिल्ली

यह वह पत्र है जो रेखा गोस्वामी ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन को लिखा गया था, पत्र के माध्यम से बताया कि मैंने जो शिकायत की है उस पर कार्यवाही करें और सुरक्षा प्रदान करे।

एक वाक्या जो इस बात को साबित करता है वह है कि 16 नवंबर 2023 को इंदौर रोड पर हॉकर्स द्वारा साप्ताहिक अखबार अभय आवाज का वितरण किया जा रहा था। महामृत्युंजय गेट से हॉकर लौट रहे थे तभी बीच सड़क पर बीजेपी के स्थानीय नेता जिसमें पार्षद आदि शामिल थे। उन्होंने दोनों हॉकर्स का रास्ता रोककर मारपीट की और गालियां देते हुए बोले कि हमारे खिलाफ छापकर अखबार बेचते हो। इन लोगों ने अखबार का बंडल लूट लिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चाबियां भी ले गए। इस दौरान जब लोग इनका वीडियो बनाने लगे तो जाते-जाते उन्होंने धमकी दी कि हमारे खिलाफ छापा तो जान से मार देंगे। ये सभी लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। इनके खिलाफ भी केस दर्ज हैं। इनसे रेखा गोस्वामी व इनके साथियों को जान का खतरा था। रेखा गोस्वामी ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन से सुरक्षा प्रदान करने की मांग करते हुए कहा था कि यह लोग कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। रेखा गोस्वामी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से संबंधित तथ्यात्मक खबर अपने अखबार अभय आवाज में प्रकाशित की थी। इसलिए डॉ. मोहन यादव गुट के कुछ लोग इनसे रंजिश रखते थे। रेखा गोस्वामी द्वारा अपने

था। कोर्ट ने प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने को अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन अब वर्तमान डॉ. मोहन यादव की सरकार हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना करते हुए प्रदेश में आरक्षण लागू न करने पर अडिग है। यही नहीं मोहन सरकार कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिये तैयार है। जाहिर है यह पूरा मामला

समाचार पत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ शासकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने एवं उस पर अपना निजी अस्पताल निर्मित कर संचालित करने के संबंधित प्रमाण प्राप्त होने के समाचार प्रकाशित किए गए थे। इनके अलावा अन्य कई पत्रकारों ने भी यह प्रमाण इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित किए थे। जिस कारण मोहन यादव उन पत्रकारों के विरूद्ध द्वेष की भावना रखते हुए अपने पद का दबाव उज्जैन पुलिस पर बना कर पत्रकारों के विरूद्ध झूठे प्रकरण बनवा रहे हैं। पत्रकार राजीव भदौरिया और मनीष भालसे के विरूद्ध झूठे मुकदमे लगवाए गए हैं। पत्रकार ऋषि शर्मा राज रॉयल कालोनी उज्जैन स्थित अपने घर पर थे। इस दौरान तीन बाइक पर सवार

मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय का है। कमलनाथ ने लाखों युवाओं के सपनों को पूरा करने और उन्हें रोज़गार उपलब्ध करवाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किये जाने का फैसला किया था। लेकिन सिंधिया की गद्दारी के कारण कमलनाथ की सरकार चली गई और बाद में मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान ने इस

आधा दर्जन बदमाश पहुंचे। उनके हाथ में थैला भरकर पत्थर थे। उन्होंने आते ही गालियां देना शुरू कर दी। इसके बाद सभी ने घर पर पत्थर बरसाए। दो बदमाश सीसीटीवी पर पत्थर मारते रहे। बदमाश जाते समय जान से मारने की धमकी भी दे गए। पत्रकार इंद्रेश सूर्यवंशी कवरेज करने के लिए उज्जैन जिले के तराना जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनकी कार को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने जानबूझकर टक्कर मारकर रोक दिया। इसके बाद जब इंद्रेश ने बदमाशों को समझाने की कोशिश की तो वे उन पर टूट पड़े। आरोपियों ने लाठी से पत्रकार पर हमला कर दिया। इस घटना की शिकायत करने के लिए जब पत्रकार इंद्रेश तराना थाने पहुंचा तो वहां पुलिसकर्मियों ने भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उज्जैन एसपी के पास मामला पहुंचा। उज्जैन पुलिस ने पत्रकार राजेंद्र सिंह भदौरिया, रेखा गोस्वामी, जय कौशल, शकील खान व समेत अन्य पत्रकारों को काफी परेशान किया। इन पर ब्लैकमेलिंग और लूट की धाराओं के झूठे केस दर्ज करवाकर इन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया।

अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगाकर मोहन यादव द्वारा घोंटा जा रहा लोकतंत्र का गला

पत्रकार समाज का आईना होता है। समाचार प्रकाशित, प्रसारित करना इनका संवैधानिक अधिकार है, जिसकी सुरक्षा आज खतरे में है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा प्रदान करने में पूर्ण रूप से असमर्थ होकर स्वयं झूठे प्रकरण दर्ज कर राजनेताओं को प्रसन्न करने में व्यस्त है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरे प्रदेश के पत्रकारों को परेशान करने में लगे हुए हैं। पत्रकारिता पर पहरा लगाकर मोहन यादव अपने आप को तानाशाह बना रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि पत्रकारों के खिलाफ खुले रूप में अत्याचार और अनाचार किया जा रहा है।

कलम की ताकत को दबा रहे मोहन यादव

जमीनों पर कब्जा कर लेना, उन्हें बेदखल कर देना यह सब कृत्य करने के बाद यदि कोई पत्रकार कलम के माध्यम से जनता के सामने सच लाने का कार्य करता है तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उस पर लगाम लगाने का कार्य करते हैं। मोहन यादव की यह कार्यशैली मध्यप्रदेश के इतिहास के अब तक के मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल अलग है, वे कलम की ताकत को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मोहन यादव मप्र में प्रजातंत्र खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि मोहन यादव लिखने बोलने और छापने की स्वतंत्रता पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। उनका यह रवैया अधिनायकवाद को दर्शाता है। पिछले एक साल में ही करीब दो दर्जन पत्रकारों पर झूठी एफ आईआर दर्ज करवाकर जेल में डाल दिया गया है। इतना ही नहीं कई पत्रकारों को तो जिलाबदर तक करवा दिया है। जिला प्रशासन इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए मकान तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। यही वजह है कि आज प्रदेश के पत्रकार दहशत में जीने को मजबूर हैं। मोहन यादव हिटलरशाही का रवैया अपनाकर लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को हथिया रहे हैं। मेरे द्वारा उनके बारे में छापी गई भ्रष्टाचार की बातों से उन्हें इतना गुरेज हुआ कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से मेरी जनसंपर्क द्वारा दी जाने वाली अधिमान्यता को निरस्त कर दिया। मैं पिछले चार दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं, जिसमें मैंने दिग्विजय सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के शासनकाल में जनता के हित से जुड़े मुद्दे और सरकार की लापरवाही के किस्सों को कलम के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। लेकिन इन सभी तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने कभी भी न मेरे उपर और ना ही किसी अन्य पत्रकार पर अंकुश लगाने या दबाव बनाने का कार्य नहीं किया जैसा मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके अधिकारी बना रहे हैं। मैंने हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का खुलकर विरोध किया और खबरें प्रकाशित की। फिर चाहे वह व्यापमं का मामला हो, रेत खनन का मामला हो या नर्सिंग घोटाला जैसे कई भ्रष्टाचार के मुददों को मैंने मय सबूत दस्तावेजों के साथ छापा। किसी भी मुख्यमंत्री ने मेरे द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने पर कोई भी असंवैधानिक दबाव बनाने की कोशिश कभी नही की।

पूरे मामले को कानूनी दांवपेंच में ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि कोर्ट में पूरा मामला लगभग चार साल तक चला। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने मामले में हरी झंडी दे दी है तो मोहन सरकार अब इसके आड़े आ रही है। कुल मिलाकर भाजपा और उसके नेताओं का एक ही उद्देश्य है कि वह प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का विरोध करे और हर बार कानूनी दांव-पेंच लगाकर

फैसले के आगे रोड़ा बनकर खड़े हो जाए। खास बात यह है कि डॉ. मोहन यादव की सरकार लगातार शासकीय नौकरियों में आरक्षण का सिर्फ 14 प्रतिशत अपना रही है जो कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट के आदेश को न मानने के बदले में कोर्ट मोहन सरकार को क्या सजा सुनाती है और इसका क्या परिणाम निकलता है।

श्रेय पाने की होड़ और कानूनी दांव पेंच

राजनैतिक विश्लेषकों के अनुसार मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किये जाने का मामला पूरी तरह से श्रेय पाने की होड़ से जुड़ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती कि प्रदेश में आरक्षण लागू किये जाने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मिले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कानूनी सलाहकार इस पूरे मामले को हर बार कानूनी रूप से उलझाए रखे हुए ताकि चुनाव के ठीक पहले प्रदेश में आरक्षण लागू कर इसका श्रेय प्राप्त किया जा सके।

हकीकत कुछ और ही कहती है

अगर हम प्रदेश में आरक्षण लागू किये जाने वाले मामले के इतिहास पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि प्रदेश में

आरक्षण लागू किये जाने की पहल से लेकर उसके संघर्ष तक हर समय पहला कदम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ही बढ़ाया था। उन्हीं की पहल के बाद राज्य में आरक्षण लागू किये जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी और जब विधानसभा पटल पर बिल पेश हुआ तो भाजपा नेताओं ने कीचड़ मचाकर लाखों युवाओं के सपनों को चकना चूर कर दिया और पूरा मामला कानूनी रूप से कोर्ट के शिंकजे में चला गया।

पांच साल के इंतजार के बाद मिली थी जीत

कमलनाथ पर चुनाव से पूर्व ही जनता ने भरोसा दिलाया था कि इस बार वे ही सत्ता में आयेंगे। जनता के इस भरोसे पर खरा उतरते हुए कमलनाथ ने भी कहा था कि वे सत्ता संभालते ही आरक्षण का मुद्दा उठायेंगे और उसे लागू करेंगे। उसके बाद सत्ता में आते ही कमलनाथ ने अपनी बात पर काबिज रहते हुए आरक्षण का विषय उठाया और प्रदेश में आरक्षण लागू करने की योजना पर कार्य शुरू किया।

मेरे फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहरः कमलनाथ

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस विषय पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। मार्च 2019 में मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हाई कोर्ट के फैसले ने मेरी तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना

चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है। अगर पिछले 06 साल के घटनाक्रम को देखें तो यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है।

कमलनाथ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि तुरंत सभी भर्तियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने के प्रावधान किए जाएं। मैंने और कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को जो 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिया था उसे सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की

जिम्मेदारी है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ संज्ञान?

व्हिसल ब्लोअर एवं पत्रकार राजीव सिंह भदौरिया के खिलाफ शासन ने दर्ज किये अवैध आपराधिक मामले, उनकी हत्या की आशंका

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त की क्या स्थिति है। लोकायुक्त की जांच सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अभयदान कैसे देती है, इसका एक उदाहरण राष्ट्रीय स्तर के एक दैनिक अख़बार ने अपनी मुख्य आवरण कथा में हैडिंग के साथ छापा 'ईडी भी हैरान-लोकायुक्त ने आरोपियों के बचने के रास्ते क्यों छोड़े, न कार पकड़ी, न सहयोगी के घर छापा मारा'। यह मामला अभी सौरभ शर्मा परिवहन घोटाले को लेकर प्रदेश के लोकायुक्त जैसे संस्थान की कार्य प्रणाली का एक छोटा सा अंश भर है। अगर कोई शिकायत मुख्यमंत्री के खिलाफ हो तो उसकी क्या जांच होगी? यह सोचने वाली बात है। ऐसा ही कुछ काम लोकायुक्त ने उज्जैन स्थित पत्रकार राजीव सिंह भदौरिया की दिनांक 5/10/2023 की शिकायत पर भी किया है, हो सकता है कि मामले को लोकायुक्त ने नस्तीबद्ध भी कर दिया हो। मध्यप्रदेश की जांच एजेंसियों के कारण एक पत्रकार (राजीव सिंह भदौरिया) को अपनी जान बचाने के लिये जतन करने पड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह लोकायुक्त ने महाकाल लोक घोटाले को लेकर भी किया था। लोकायुक्त का लचर रवैया हाल ही में परिवहन विभाग के एक कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में भी देखा जा सकता है। लोकायुक्त कैसे-कैसे हथकंडे अपनाकर सौरभ शर्मा और उससे जुड़े रसूखदार लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है। जब मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपना काम करेंगी? सवाल बड़ा है और इसका जवाब हम जानना चाहते हैं।

साय सरकार के 15 माह...

छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास पर दिया जा रहा है जोर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा प्रदेश

छत्तीसगढ़ के जनकल्याण के लिये समर्पित होकर कार्य कर रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश की जनता के हितों में महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 15 महीनों के शासन में ही छत्तीसगढ़ की जनता ने मान लिया है कि प्रदेश में एक बेहतर सरकार का संचालन हो रहा है। जिसका सबसे प्रमुख कारण है कि चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने चुनावी वादों किये थे वह धीरे-धीरे पूरे किये जा रहे हैं। युवा, किसान, महिला, गरीब सभी के कल्याण के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय का मानना है कि यदि जनता खुशहाल रहेगी तो प्रदेश की प्रगति उसी गति से होगी। सुशासन तथा सरकार की पूर्णतः पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली का व्यापक असर पूरे प्रदेश में चारों ओर नजर आ रहा है। महतारी वंदन योजना माता बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक हजार रूपए की जो मान राशि सरकर हर माह दे रही है, वह आड़े वक्त में माता बहनों के बहुत काम आ रही है। वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर आने वाले खर्च की भरपाई कर रही हैं, उनमें बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। कई माता बहनें इस राशि से छोटा मोटा व्यवसाय भी करने लगी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनप्रिय और लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने अपने संवेदशील कार्यप्रणाली का परिचय देते हुए राज्य की जनता के हितों के लिए पिछले दिनों कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री के इन फैसलों का परिणाम यह हुआ कि राज्य के अंदर हर तरफ खुशहाली और उन्नति के भाव दिख रहे हैं। साय सरकार ने किसानों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में किसान एक बड़ा मुद्दा है। सरकार ने धान किसानों से किया वादा पूरा किया। राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रूपये प्रति एकड़ में धान की खरीदी हो रही है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के दो सालों के बकाया बोनस का भी भुगतान किया है।

विजया पाठक

साय सरकार मोदी की गारंटी को पूरी कर रही है। राज्य सरकार एक विजन के साथ काम कर रही है। वर्ष-2047 तक राज्य विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में पहचान बनाएगा। इसके लिए रोडमैप बनाने का काम किया जा रहा है। पांच लाख करोड़ की जीडीपी को दस लाख करोड़ तक पहुंचाने के काम में सरकार लगी हुई है। एक साल के भीतर दस हजार से ज्यादा लोग आइटी सेक्टर में काम करते नजर आएंगे। भ्रष्टाचार पर टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करके अंकुश लगाएंगे। नक्सलढ़ बस्तर से नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है।

विकसित छत्तीसगढ़ से ही विकसित

मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त प्रदेश बनाने पर प्रतिबद्ध

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है। राज्य के कई इलाके नक्सलबाद से प्रभावित हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई तेज हुई है। एक साल में एनकाउंटर में 217 नक्सलियों को ढेर किया गया है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के कुशल नेतृत्व को इस सफलता की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीति और प्रभावी रणनीति के कारण

सुरक्षाबलों को लगातार सफलता मिल रही है और हम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब निर्णायक मोड़ पर है। नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब प्रदेश में केवल विकास, शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित होगा। हम 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कर देंगे। यह केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और प्रदेश के हर नागरिक से किया गया वादा है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरूद्ध सुरक्षाबलों की सफलता और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से अब बस्तर में सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की दस्तक सुनाई दे रही है। इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने लगभग 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं। वहीं 801 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 742 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। उन्होंने कहा आज भी जो युवा नक्सलवाद में लिप्त है उनसे आग्रह है कि हथियार छोड़ कर मुख्य धारा से जुड़े। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वास के लिए बेहतर योजनाएं बनाई हैं उसका फायदा लीजिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ाई गई है। हम निरंतर गाँवों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुंचा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भारत का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार जिस प्रकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है वो बहुत प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया जा चुका है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के पैसे बढ़ाने की

100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देश के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री साय बतौर सीएम बहुत कम समय में ही लोकप्रियता की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि मीडिया समूह इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी देश के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 77वें नंबर पर काबिज हैं। माना जा रहा है कि, मुख्यमंत्री ने अपने दो महीने के कार्यकाल में ही मोदी की गारंटी लागू करने सहित कई उपलब्धियों से जनता के दिल में जगह बना ली है। मुख्यमंत्री साय अपने इस छोटे से कार्यकाल में न केवल आदिवासियों का, बल्कि आम जनता का विश्वास जीतने में सफल हुए हैं। यही वजह है कि उन्हें देश के प्रभावशाली लोगों की सूची में काफी उपर जगह मिली है।

गारंटी दी थी। डबल इंजन सरकार ने यह गारंटी पूरी कर दी है। गरीबों के घर पहले नहीं बन पा रहे थे। अब सरकार गरीबों के घर बनाने तेजी से काम कर रही है। हर घर जल की योजना, इसे भी पूरा करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है।

छत्तीसगढ़ की बहनों को महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाओं को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को संवारने का काम तेजी से हो रहा है। मोदी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि सरकार आने पर सुशासन स्थापित करते हुए नागरिकों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लायेंगे। इसके परिपालन में सरकार ने पहले ही दिन से ही प्रधानमंत्री की गारंटियों पर अमल शुरू कर दिया गया। 18 लाख परिवारों को पक्का आवास देने, किसानों को 02 साल का बकाया बोनस का भुगतान करने, 3100 रुपए क्विंटल के भाव से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने, विवाहित माताओं-बहनों को हर महीने 01 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए महतारी वंदन योजना शुरूकरने जैसी

छत्तीसगढ़ को डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प

पायलट प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। डेयरी विकास, पशु उत्पादकता संवर्धन, पशु प्रजनन और पशु पोषण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक योजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की जा रही है। राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को नई उंचाइयों तक ले जाया जाए। राज्य सरकार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

सफल क्रियान्वयन बहुत आवश्यक- मुख्यमंत्री ने किसानों और दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिये पहली बार डेयरी उद्योग को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहा कि छत्तीसगढ़ में श्वेत क्रांति की तर्ज पर डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने और किसानों व पशुपालकों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन को लाभकारी व्यवसाय बनाने और प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। जाहिर है कि दिसंबर 2024 में राज्य सरकार और NDDB के बीच हुए समझौते के बाद छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अधिकांश आबादी कृषि से

अनेक गारंटियों को हम पूरा कर चुकें हैं। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ भी पूरे मनोयोग के साथ अपनी भागीदारी के लिए तत्पर है। विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य सामने रखा है। राष्ट्र को नवनिर्माण के लिए

जुड़ी है और अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन का कार्य भी करती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता में तैयार पायलट प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार लगभग 5 करोड़ रूपये का निवेश कर रही है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को शामिल किया गया है और सफल क्रियान्वयन के बाद इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती-

डेयरी उद्योग के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही, प्रदेशवासियों के पोषण स्तर में भी सुधार होगा, जिससे बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ, प्रति व्यक्तिदूध की उपलब्धता में वृद्धि और सरप्लस दूध के उपयोग को लेकर ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। दूध उत्पादन से जुड़े किसानों और पशुपालकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि वे आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आय को बढ़ा सकें। वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन 58 लाख किलोग्राम दूध का उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध संघ की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन करने के बाद, दुग्ध उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालकों को आधुनिक तकनीक और मशीनों से दूध की गुणवत्ता जांच और तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी। बायोगैस और बायो-फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना से पशुपालकों की अतिरिक्त आय के स्रोत बढ़ेंगे, जिससे पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा।

एकजुट करने और हर नागरिक तक शासन की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए 16 दिसम्बर 2023 से छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। इसमें प्रदेश के सवा करोड़ लोग शामिल हुए, माताओं-बहनों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। इनमें से 01 करोड़ से अधिक लोगों ने ऑनलाइन संकल्प में भी भाग लिया। संकल्प यात्रा के दौरान

परिषद के गठन का फैसला किया

छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति को लागू किया है। 01 नवंबर से नई औद्योगिक नीति लागू हो गई है। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन पर भी फोकस किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गरीब लोगों के घर के निर्माण पर फैसला किया गया। राज्य में पीएम आवास योजना के दूसरे चरण का सर्वे चल रहा है। केंद्र सरकार ने 8,46,313 नए आवासों को स्वीकृति दी। राज्य में 01 लाख 74 हजार 585 लोगों को नए आवास सौंपे जा चुके हैं। वहीं, हाउसिंग बोर्ड के तहत 50 हजार घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

युवाओं को साधने के लिए सरकार

विष्णुदेव साय की सरकार ने युवाओं पर भी फोकस किया है। युवाओं को साधने के लिए सरकार ने होनहार छात्रों को ब्याजमुक्तकर्ज देने की घोषणा की है। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के कई निकायों में हाइटेक लाइब्रेरी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने से छत्तीसगढ़ को कई फायदे मिले हैं। बीते एक साल में प्रदेश में 31 हजार करोड़ रूपये के सड़क और राजमार्ग के कामों को स्वीकृति दी गई है। राज्य के चार प्रमुख शहरों में ई-बसों की शुरूआत का फैसला लिया गया है। अंबिकापुर में हवाई सेवा की शुरूआत की गई है।

स्वास्थ्य शिविरों में 66 लाख से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया, 55 लाख लोगों ने टीबी जांच कराई, 35 लाख लोगों ने सिकल सेल की जांच कराई। 04 लाख 35 हजार आयुष्मान भारत कार्ड, 47 हजार क्रेडिट कार्ड, 10 हजार सॉइल हेल्थ कार्ड और 45 हजार माई भारत वालंटियर का पंजीयन किया गया है। छत्तीसगढ़ में 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों के कल्याण के लिए 847 करोड़ 45 लाख रुपए लागत की 1180 किलोमीटर लंबाई वाली 333 सड़कों की निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इससे विशेष पिछड़ी जनजातियों की 366 बसाहटें लाभान्वित होंगी। प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्तकरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस योजना से 29 हजार 439 परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से 15 हजार से अधिक परिवारों को आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। 13 हजार 188 परिवारों को पहली किश्त की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की 07 लाख 82 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीयों का अमेरिका से निर्वासन विवाद

रघु ठाकुर

20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने के बाद अमेरिका से अवैध घुसपैठियों को निकाले जाने की खबरें भारत और दुनिया में प्रमुखता से छप रही हैं। यह स्वाभाविक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकालने की अपनी नीति का शुरूसे ही खुला ऐलान किया और इसे कभी भी छिपाया नहीं है। यह उनकी वैचारिक ईमानदारी भी है कि उन्होंने कुछ मतों के नुकसान की चिंता न करते हुये चुनाव अभियान के बीच अपनी बात को साहसपूर्वक कहा है। यद्यपि अमेरिका से भारत और अन्य देशों से अवैधानिक प्रवासियों को निकालने के कार्य उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान भी होते रहे हैं। जो बाइडेन के 04 वर्षीय कार्यकाल के दौरान भी लगभग 16 हजार भारतीय अमेरिका से वापिस भारत भेजे गये थे। परंतु इसकी चर्चा देश व दुनिया के मीडिया में कम हुई। क्योंकि एक तो जो बाइडेन ने इसे अपना नीतिगत मुद्दा नहीं बनाया और न ही कभी ऐसे सार्वजनिक बयान दिये है, वह बगैर बोले निकालते रहे।

जो बाइडेन के 04 वर्षीय कार्यकाल के दौरान भी लगभग 16 हजार भारतीय अमेरिका से वापिस भारत भेजे गये थे। परंतु इसकी चर्चा देश व दुनिया के मीडिया में कम हुई। क्योंकि एक तो जो बाइडेन ने इसे अपना नीतिगत मुद्दा नहीं बनाया और न ही कभी ऐसे सार्वजनिक बयान दिये है, वह बगैर बोले निकालते रहे।

दूसरा इसलिये भी कि भारत के प्रतिपक्ष के नेताओं का विरोध नीतियों से कम व्यक्तिसे ज्यादा होता है। हर बात को वे व्यक्तिके साथ जोड़कर देखते हैं, उनका विरोध न नीतिगत होता है और न निष्पक्ष। और न ही राष्ट्रीय और नैतिक आधार पर होता।

चूंकि वे भारत में नरेन्द्र मोदी और अमेरिका में ट्रंप के व्यक्तिगत खिलाफ है। अतः उनका लक्ष्य केवल व्यक्ति होता है। भारत में वैश्वीकरण की औपचारिक शुरुआत केंद्र में कांग्रेस के ही कार्यकाल में ही हुई थी। परंतु उसके मूल अपराधी स्व-नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह थे और उसी वैश्वीकरण की नीति को आगे बढ़ाने वाले स्व-अटल बिहारी वाजपेयी उनके लिये श्रद्धा के पात्र हैं, परंतु उसी नीति को आगे ले जाने वाले नरेन्द्र मोदी उनकी नजरों में आर्थिक अपराधों हालांकि उनकी भेदभावपूर्ण प्रतिक्रिया से शायद इसलिये

देश प्रभावित नहीं होता।

अब दुनिया में आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी देश अपने देश में बाहर की आबादी को रहने-सहने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार और उनकी पार्टी तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को कई दशकों से राजनैतिक मुद्दा बनाये है, हालाँकि वह इन मुद्दों पर वोट तो लेती है, पर करती कुछ नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जब अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किये गये भारतीयों को निकाला जाना शुरू हुआ तो हमारे देश के मीडिया ने और प्रतिपक्षी दलों ने इसे आलोचना का मुद्दा बनाया। संसद में भारी हंगामा हुआ, बहिष्कार हुआ तथा घुसपैठियों को हथकड़ी और जंजीर डालकर अमेरिकी विमान से भारत में पंजाब प्रांत में लाकर अमेरिकी सेना अधिकारियों द्वारा छोड़ने की इस आधार पर आलोचना हुई कि यह राष्ट्रीय अपमान है। यह बात सही है कि, भारत सरकार को दूरदृष्टि की नीति से पहले ही आवश्यक कदम उठाने थे, तथा बेहतर होता कि भारत के सत्ताधीश पहले ही भारतीय विमान भेजकर भारतीय घुसपैठियों को वापिस ले आते तथा उन्हें भारत में दंडित करते। पर दूसरा भी पक्ष है कि ये अवैध घुसपैठिये अमेरिकी कानून के अनुसार अपराधी हैं, उन्हें देश से निकालने के उनके अमेरिका अपने नियम कायदे हैं। अपने सुरक्षागत नियमों के पालन के आधार पर ही लालकृष्ण आडवाणी जो पूर्व गृहमंत्री थे और स्व. जार्ज फर्नांडीज विदेश मंत्री के जूते मौजे उतरवाकर जांच की थी। शायद यह परंपरा पहले भी रही हो।

अधिकांश भारतीय जो अमेरिका में घुसपैठ होकर गये हैं, वे कनाडा और मैक्सिको की सीमा से घुसपैठ किये गये हैं। मैक्सिको की सीमा पर जाने के लिये कनाडा बीच का स्टेशन जैसा है। देश में कई ऐसी एजेंसियां सक्रिय हैं जो न केवल फर्जी पासपोर्ट बनाने में संलग्न हैं। कई ट्रेवलिंग एजेंसियां भी हैं जो भारत में लोगों से भारी पैसा लेकर अवैध प्रवासी या मानव तस्करी के प्रति आस्वस्त करती हैं और उन्हें कनाडा, मैक्सिको भेज देती हैं। इनके बारे में देश के सत्ता या प्रतिपक्ष ने कभी कोई शिकायत नहीं की, अब जब अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत भेजा गया है तब डिपोर्ट किये लोग इन ट्रेवलिंग एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इन एजेंटों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता धारा 313 के तहत कार्यवाही होनी चाहिये। जो लोग इन एजेंटों को भारी पैसा देकर पासपोर्ट

बनवाकर गये थे इनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये।

ट्रंप ने तो अमेरिका संशोधित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये थे जिसके अनुसार गैर अमेरिकी नागरिकों के अमेरिका में बच्चों को जन्म देने पर उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जायेगी यह प्रावधान था, हालाँकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी रोक दिया है, पर यह तय है कि ट्रंप शासन इन घुसपैठियों को चाहे वे भारत के हों या बाहरी अब अमेरिका से बाहर निकालेगा। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी बदलाव किया है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद भी अमेरिका में नहीं जा सकेंगे। हालाँकि 26 फरवरी का एक और आदेश श्री ट्रंप ने जारी किया है, जिससे 44 करोड़ रूपये देने वालों को, तत्काल वीजा दिया जायेगा। श्री ट्रंप का कहना है कि अमेरिका योग्य व रोजगार देने वाले को भी नागरिकता देगा। बहरहाल ये विषय भी चर्चा व बहस के हैं।

यह प्रवासी अमेरिका के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि इन 20 देशों में भी नहीं जा सकेंगे जो अमेरिका की वीजा नीति (वीसा नीति) का पालन करते हैं। भारत से अवैध रूप से गये इन प्रवासियों के विरु द्ध भारत में भी पासपोर्ट अधिनियम 1967, आयकर अधिनियम 1967, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, एमीग्रेसन अधिनियम 1983 के तहत कार्यवाही हो सकती है, यह अलग बात है कि वोट के लालच में केंद्र और राज्य सरकारें यह कार्रवाई करें, या न करें। अमेरिकी कार्रवाई का असर यूरोप के देशों पर भी हुआ है और यूरोप के देश भी अवैध घुसपैठ के खिलाफ सक्रिय हुये हैं। ब्रिटेन और जर्मनी ने भी बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों को पकड़कर निकालना शुरू किया है और अभी यूरोप के देशों में होने वाले चुनावों में भी अवैध घुसपैठियों को निकालने का मुद्दा एक प्रमुख और निर्णायक मुद्दा बन रहा है।

ब्रिटिश गृहमंत्री कूपर ने तो घोषणा कर दी है कि अब हम नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। जर्मनी के प्रतिपक्ष के नेता फ्रेडरिच मार्टिन ने तो कहा है कि जर्मनी में 20 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं, उन्हें वह सत्ता में आने पर निकालेंगे। भारत को अब यह मान लेना चाहिये कि जो भारतीय अवैध प्रवासी के रूप में देश के बाहर किसी भी देश में गये हैं वे अंतरराष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से कानूनी अपराधी हैं। और उन्हें

कभी न कभी वापिस आना होगा।

भारत को स्वतः भी अपनी सीमाओं, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बचाने भारत में आये अवैध घुसपैठियों को निकालना होगा। जो अवैध प्रवासी अमेरिका में गये हैं वे भारतीय और अमेरिकी कानून के हिसाब से अपराधी तो हैं ही बल्कि डंकी रूट से गये हुये ये लोग अमेरिका में बने रहने के लिये जो तर्क दे रहे हैं वे राष्ट्र के सम्मान को गिराने वाले हैं। कुछ आवेदन दे रहे हैं कि वे भाजपा या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इस कारण से भारत में उनकी जान को खतरा है। कुछ कह रहे हैं कि अंतरधर्मी प्रेम शादी के कारण उनकी जान को खतरा है, कुछ लोग अपने परिवार पर भारत में हुये हमले की कहानी गढ़कर अमेरिका में बने रहना चाहते हैं और कुछ लोग भारत के अपने गांव में सामाजिक, धार्मिक दंगों का बहाना बनाकर अमेरिका में शरण चाह रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोगों ने तो अमेरिका में रहने के लिये दिये गये आवेदनों में यह भी लिखा है कि कोरोना काल में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, उन पर भारी कर्ज है, भारत सरकार ने मदद नहीं की वे वापिस जायेंगे तो साहूकार उनकी जान ले लेंगे आदि-आदि।

क्या ऐसे लोग अमेरिका में बसने के लिये अपनी मातृभूमि को बदनाम करने को लाचार हैं और किसी दया के पात्र हैं। क्या ये राष्ट्रविरोधी नहीं हैं? ऐसे लोगों की हिमायत करना भी राष्ट्रीय सोच नहीं है। भारत को इन लोगों को देश वापिस लाकर इनके विरु द्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिये। भारत में आये हुये जो घुसपैठिये हैं उन्हें सख्ती के साथ वापिस भेजना चाहिये। यह भारत सरकार और समूची भारतीय राजनीति का राष्ट्रीय दायित्व है और अमेरिका तथा यूरोप में हो रही कार्रवाई भारत के लिये अवसर भी है। नरेन्द्र मोदी तो आपदा में अवसर खोजने के विशेषज्ञ हैं। देखें वे, इस आपदा में अवसर खोजते हैं या नहीं?

अधिसंख्य आबादी तक पहुंचें सस्ती दवाइयां

विजय गर्ग

पिछले काफी समय से जेनेरिक या ब्रांडेड दवाओं पर बहस छिड़ी है। पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नियम लागू किया था। इसमें कहा गया था कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं भी लिखनी होंगी। नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनएमसी के इस फैसले के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस नियम पर सवाल खड़े किए थे। कई डॉक्टर एसोसिएशन ने भी नए कानून का विरोध कर इसको वापस लेने की मांग की थी। तर्क यह दिया गया था कि ब्रांडेड दवा न लिखने से मरीजों को नुकसान हो सकता है। विरोध के बाद एनएमसी ने अपना फैसला वापस ले लिया था। सरकार मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके बाद डॉक्टर्स को मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवा लिखनी होंगी, न कि किसी विशेष ब्रांड या कंपनी की। इसके बाद भी मरीजों को सस्ती दवाएं मिलने लगेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जेनेरिक दवाओं के चलन से बड़ी फार्मा कंपनियों को सीधे नुकसान होगा।

आमतौर पर सभी दवाओं में एक तरह का 'केमिकल सॉल्ट' होता हैं। इन्हें शोध के बाद अलग-अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है, उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाले पैरासिटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं, जब इसे किसी ब्रांड (जैसे क्रोसिन) के नाम से बेचा जाता है तो यह उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है।

जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड की तुलना में 10 से 20 गुना तक सस्ती होती हैं। दरअसल, फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयों की रिसर्च,

पेटेंट और विज्ञापन पर काफी पैसा खर्च करती हैं। जबकि जेनेरिक दवाइयों की कीमत सरकार तय करती है और इसके प्रचार-प्रसार पर ज्यादा खर्च भी नहीं होता।

कई जानलेवा बीमारियां जैसे एचआईवी, लंग कैंसर, लीवर कैंसर में काम आने वाली दवाओं के ज्यादातर पेटेंट बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास हैं। वे इन्हें अलग-अलग ब्रांड से बेचती हैं। अगर यही दवा जेनेरिक में उपलब्ध हो तो इलाज पर खर्च 200 गुना तक घट सकता है। जैसे एचआईवी की दवा टेनोफिविरया एफाविरेज़ की ब्रांडेड दवा का खर्च 2,500 डॉलर यानी करीब 1 लाख 75 हजार रुपये है, जबकि जेनेरिक दवा में यही खर्च 12 डॉलर यानी महज 840 रुपये महीने तक हो सकता है। हालांकि, इन बीमारियों का इलाज ज्यादातर सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में होता है। ऐसे में ये दवाएं इन अस्पतालों में या वहां के केमिस्ट के पास ही मिल पाती हैं।

देश में फार्मा इंडस्ट्री 1.20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की है और इसकी सालाना ग्रोथ 11 प्रतिशत है। देश में सालाना करीब 1.27 लाख करोड़ की दवाएं बेची जाती हैं, इसमें 75 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है। भारत जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनियाभर की डिमांड की 20 प्रतिशत दवाइयां भारत सप्लाई करता है। अमेरिका में 40 प्रतिशत और यूके में 25 प्रतिशत दवाइयां भारत सप्लाई करता है। 2018-19 में देश से 1,920 करोड़ डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट की गईं। दुनियाभर में कुल वैक्सीन डिमांड का 50 प्रतिशत भारत से सप्लाई होता है। इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, नाइजीरिया और जर्मनी में भी भारतीय दवाएं एक्सपोर्ट की गईं।

एक अनुमान के मुताबिक, किसी भी मरीज के इलाज के दौरान होने वाले खर्च का 70 प्रतिशत अकेले दवाओं पर खर्च हो जाता है। सरकार ने पिछले महीने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इलाज और दवा पर होने वाले खर्च की वजह से देश में हर साल 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। फिलहाल सरकार की आयुष्मान भारत योजना से निःशुल्क इलाज और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाओं का मिलना लोगों के लिए राहत की बात है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा देश की अधिसंख्य आबादी तक बढ़ाने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य लोगों को ब्रांडेड महंगी दवाइयों के स्थान पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां प्रदान करना है। सरकार के प्रयास के बावजूद अभी भी देश में बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। समय आ गया है कि सामुदायिक स्तर पर जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। देश में बढ़ती महंगाई के दौर में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापरक दवाइयों के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। ऐसे में समय आ गया है कि सभी को जेनेरिक दवाओं के माध्यम से सस्ती दवाएं मुहैया कराइ जाएं।

घोषणा : प्रारूप चार : नियम आठ

1. प्रकाशन का स्थान - भोपाल
2. प्रकाशन की अवधि - मासिक
3. मुद्रक का नाम - जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, भोपाल
4. प्रकाशक का नाम - विजया पाठक
5. क्या आप भारत के नागरिक है - हाँ (भारतीय)
6. संपादक का नाम - विजया पाठक, भारतीय
7. पत्र के स्वामी का नाम व पता - विजया पाठक
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मै विजया पाठक यह घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान ओर विश्वास के आधार पर पूर्णतः सत्य है।

1 मार्च 2025

विजया पाठक
प्रकाशक

तेलंगाना में सुरंग में फंसे लोग मुसीबत बनती निर्माणाधीन सुरंगें

प्रमोद भार्गव

मानव जीवन के लिए प्रकृति को छलनी कर किया जा रहा आधुनिक विकास, जहां जरूरी है, वहीं संकट का सबब भी बन रहा है। तेलंगाना के नगरकुरनूल जिले के डोमलपेंटा गांव में श्रीषैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे आठ लोगों का जीवन बचाने में बचाव दल को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले माह फरवरी 2025 में यह सुरंग ढह गई थी। 42 किमी लंबी यह सुरंग बनने के बाद दुनिया की सबसे लंबी पानी की सुरंग कहलाएगी। थल और जल सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईआईटी चेन्नई और एल एंड टी कंपनी के 300 लोग बचाव अभियान में जुटे हैं। सुरंग मलबे और पानी से भर गई है। फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए 12 रैट माइनर्स अर्थात चूहों की तरह खदान खोदने वाले विशेषज्ञ खनिक भी इस काम में जुटे हैं। इस दल के सदस्य वे लोग हैं, जिन्होंने 2023 में उत्तराखंड की सिल्क्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता हासिल की थी।

रोबोटिक कैमरों की मदद भी लोगों तक पहुंचने में ली जा रही हैं। बचाव दल थर्मल फिषिंग नौका से सुरंग के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन कीचड़ की वजह से करीब 50 मीटर का फासला बना हुआ है। और आगे बढ़ने के लिए खोजी ष्वान की मदद भी ली जा रही है। फंसे लोगों को अब तक भोजन पानी नहीं मिला है, इसलिए इनकी बचने की उम्मीद कम से कम हैं।

सड़कों, रेल लाइन, नहरों के पानी की निकासी और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमालय के शिखरों से लेकर मध्य और दक्षिण भारत के अनेक पहाड़ो को खोदा जा रहा है। इन कठिन कार्यों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अनेक दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। समूचे हिमालय क्षेत्र में बीते एक दशक से पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने के परिप्रेक्ष्य में जल विद्युत संयंत्र और रेल परियोजनाओं की बाढ़ आई हुई है। इन योजनाओं के लिए

हिमालय क्षेत्र में रेल गुजारने और कई हिमालयी छोटी नदियों को बड़ी नदियों में डालने के लिए सुरंगें निर्मित की जा रही हैं। बिजली परियोजनाओं के लिए भी जो संयंत्र लग रहे हैं, उनके लिए हिमालय को खोखला किया जा रहा है।

हिमालय क्षेत्र में रेल गुजारने और कई हिमालयी छोटी नदियों को बड़ी नदियों में डालने के लिए सुरंगें निर्मित की जा रही हैं। बिजली परियोजनाओं के लिए भी जो संयंत्र लग रहे हैं, उनके लिए हिमालय को खोखला किया जा रहा है। इस आधुनिक औद्योगिक और प्रौद्योगिकी विकास का ही परिणाम है कि आज हिमालय ही नहीं, हिमालय के शिखरों पर स्थित दरकने लगे हैं, जिनपर हजारों साल से मानव बसाहटें अपने ज्ञान-परंपरा के बूते जीवन-यापन करने के साथ हिमालय और वहां रहने वाले अन्य जीव-जगत की भी रक्षा करते चले आ रहे हैं। हिमालय और पृथ्वी सुरक्षित बने रहें, इस दृष्टि से कृतज्ञ मनुष्य ने अथर्ववेद में लिखे पृथ्वी-सूक्त में अनेक प्रार्थनाएं की हैं। यह सूक्त राष्ट्रीय अवधारणा एवं वसुधैव कुटुंबकम् की भावना को विकसित, पोषित एवं फलित करने के लिए मनुष्य को नीति और धर्म से बांधने की कोशिश की हैं। लेकिन हमने कथित भौतिक सुविधाओं के लिए अपने आधार को ही नष्ट करने का काम आधुनिक विकास के बहाने कर दिया। जोशीमठ इसी अनियोजित विकास की परिणति है।

उत्तराखंड के चमोली जिले में आने

वाले जोशीमठ शहर ने कई अप्रिय कारणों से नीति-नियंताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा जारी उपग्रह तस्वीरों से जोशीमठ के बारह दिनों में 5.4 सेंटीमीटर हिमालय के गर्भ में घंस जाने की चिंता जताई है। सिमटती धरती की इन प्रामाणिक सच्चाइयों को छिपाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार ने अंतरिक्ष एजेंसी समेत कई सरकारी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे मीडिया के साथ जानकारी साझा न करे। नतीजतन इसरो की बेवसाइट से धरती के धंसने के चित्र हटा दिए गए। सरकार का यह उपाय भूलों से सबक लेने की बजाय उन पर धूल डालने जैसा है। जब हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र ने धरती को हिलाकर नाजुक बना दिया है और घरों में दरारें पड़ने के साथ आधारतल घंस रहा है, तब लोगों को जीवन-रक्षा से जुड़ी सच्चाईयों को क्यों छुपाया जा रहा है ? दरअसल भारत सरकार और राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद हठपूर्वक पर्यावरण के विपरीत जिन विकास योजनाओं को चुना है, उनके चलते यदि लोग अपने गांव और आजीविका के संसाधनों को खो रहे हैं, तो ऐसी परियोजनाएं किसलिए और किसके लिए ?

उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर एक लाख तीस हजार करोड़ की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए लाखों पेड़ों को काटने के बाद पहाड़ों को निर्ममता से छलनी किया जा रहा है और नदियों पर बांध निर्माण के लिए बुनियाद हेतु गहरे गड्ढे खोदकर खंबे व दीवारें खड़े किए जाते हैं। कई जगह सुरंगे बनाकर पानी की धार को संयंत्र के पंखों पर डालने के उपाय किए गए हैं। इन गड्ढों और सुरंगों की खुदाई में ड्रिल मषीनों से जो कंपन होता है, वह पहाड़ की परतों की दरारों को खाली कर देता है और पेड़ों की जड़ों से जो पहाड़ गुंथे होते हैं, उनकी पकड़ भी इस कंपन से ढीली पड़ जाती है। नतीजतन तेज बारिश के चलते पहाड़ों के ढहने और हिमखंडो के टूटने की घटनाएं पूरे हिमालय क्षेत्र में लगातार बढ़ जाती हैं। यही नहीं कठोर पत्थरों को तोड़ने के लिए भीशण विस्फोट भी किए जाकर हिमालय को हिलाया जा रहा है। एसएलबीसी नहर के निर्माण में भी पहाड़ को विस्फोटकों से खोदा जा रहा है।

हिमालय में अनेक रेल परियोजनाएं भी निर्माणाधीन है। सबसे बड़ी रेल परियोजना उत्तराखंड के चार जिलों (टेहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली) के तीस से ज्यादा गांवों को भी विकास की कीमत चुकानी पड़ रही है। छह हजार परिवार विस्थापन के

दायरे में आ गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के मरोड़ा गांव के सभी घर दरक गए है। रेल विभाग ने इनके विस्थापन की तैयारी कर ली है। यह तो शुरू आत है, लेकिन ये विकास इसी तरह जारी रहते हैं तो बर्बादी का नक्षा बहुत विस्तरित होगा। दरअसल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना 125 किमी लेगी है। इसके लिए सबसे लंबी सुरंग देवप्रयाग से जनासू तक बनाई जा रही है, जो 14.8 किमी लंबी है। केवल इसी सुरंग का निर्माण बोरिंग मषीन से किया जा रहा है। बांकी जो 15 सुरंगे बन रही हैं, उनमें ड्रिल तकनीक से बारूद लगाकर विस्फोट किए जा रहे हैं। इस परियोजना का दूसरा चरण कर्णप्रयाग से जोषीमठ के बजाय अब पीपलकोठी तक होगा। भू-गर्भीय सर्वेक्षण के बाद रेल विकास निगम ने जोषीमठ क्षेत्र की भौगोलिक संरचना को परियोजना के अनुकूल नहीं पाया था। इसलिए अब इस परियोजना का अंतिम पड़ाव पीपलकोठी कर दिया है। जो एक अच्छी पहल है। हिमालय की ठोस व कठोर अंदरूनी सतहों में ये विस्फोट दरारें पैदा करके पेड़ों की जड़े भी हिला रहे हैं। अन्य जिलों के श्रीनगर, मलेथा, गौचर ग्रामों के नीचे से सुरंगें निकाली जा रही हैं। इनमें किए जा रहे धमाकों से घरों में दरारें आ गई हैं। वैसे भी पहाड़ी राज्यों में घर ढलानयुक्त जमीन पर उंची नीम देकर बनाए जाते हैं। जो निर्माण के लिहाज से ही कमजोर होते हैं। ऐसे में विस्फोट इन घरों को ओर कमजोर कर रहे हैं। हिमालय की अलकनंदा नदी घाटी ज्यादा संवेदनशील है। रेल परियोजनाएं इसी नदी से सटे पहाड़ों के नीचे और उपर निर्माणाधीन है।

दरअसल उत्तराखंड के भूगोल का मानचित्र बीते डेढ़ दषक में तेजी से बदला है। चैबीस हजार करोड़ रुपए की ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना ने जहां विकास और बदलाव की उंची छलांग लगाई है, वहीं इन योजनाओं ने खतरों की नई सुरंगे भी खोल

दी है। उत्तराखंड के सबसे बड़ी पहाड़ी षहर श्रीनगर के नीचे से भी सुरंग निकल रही है। नतीजतन धमाकों के चलते 150 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई है। पौड़ी जिले के मलेथा, लक्ष्मोली, स्वोत और डेवली में 771 घरों में दरारें आ चुकी है। रेल परियोजनाओं के अलावा यहां बारह हजार करोड़ रुपये की लागत से बारहमासी मार्ग निर्माणाधीन हैं। इन मार्गों पर पुलों के निर्माण के लिए भी सुरंगें बनाई जा रही हैं, तो कहीं घाटियों के बीव पुल बनाने के लिए मजबूत आधार स्तंभ बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये सड़के सेना के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। सैनिकों का हिमालयी क्षेत्र में इन सड़कों के बन जाने से चीन की सीमा पर पहुंचना आसान हो गया है। लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से जो निर्माण किए जा रहे हैं, उन पर पुनर्विवार की जरूरत है।

हिमालय में हाल ही में केन-बेतवा नदी जोड़ों अभियान की तर्ज पर उत्तराखंड में देश की पहली ऐसी परियोजना पर काम शुरू हो गया है, जिसमें हिमनद (ग्लेशियर) की एक धारा को मोड़कर बरसाती नदी में पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। यदि ये यह परियोजना सफल हो जाती है तो पहली बार ऐसा होगा कि किसी बरसाती नदी में सीधे हिमालय का बर्फीला पानी बहेगा। हिमालय की अधिकतम उंचाई पर नदी जोड़ने की इस महापरियोजना का सर्वेक्षण शुरूहो गया है। इस परियोजना की विषेशता है कि पहली बार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की एक नदी को कुमाउं मंडल की नदी से जोड़कर बड़ी आबादी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यही नहीं एक बड़े भू-भाग को सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस परियोजना पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिस सुरंग का निर्माण कर पानी नीचे लाया जाएगा, उसके निर्माण में हिमालय के शिखर-पहाड़ों को खोदकर सुरंगों एवं नालों का निर्माण किया जाएगा, उनके लिए ड्रिल मशीनों से पहाड़ों को छेदा जाएगा और विस्फोट से पहाड़ों को शिथिल किया जाएगा। यह स्थिति हिमालयी पहाड़ों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नया बड़ा खतरा साबित हो सकती है। हिमालय के लिए बांधों के निर्माण पहले से ही खतरा बनकर कई मर्तबा बाढ़, भू-स्खलन और केदरनाथ जैसी प्रलय की आपदा का कारण बन चुके हैं।

A Christian burial in Chhattisgarh: Supreme Court rules in favour of 'Hindu' Adivasis

Degree Prasad Chouhan

This is not a fictional sob story. It is the tragic reality of a family which had to struggle for three weeks to bury their dead only because of their religion. The matter reached the Supreme Court on 27 January and the same day, the administration pressurized the family members into burying their deceased father at Karkapal, about 45 km from their village.

This case of blatant religious discrimination has been reported from the Chhindwada village under Darbha Police Station area in the Jagdalpur district of Bastar division, Chhattisgarh. This is a Scheduled Area under the Fifth Schedule of the Constitution. The Gram Sabha, quoting ancient customary social practices, barred the burial of a non-Hindu (Dalit Christian) within the boundaries of the village.

Have the Adivasis started considering themselves as Hindus? Have they begun "othering" the Dalits and the Christians?

Subhash Baghel, a Christian, died on 7 January. His son Ramesh Baghel wanted to perform his last rites at the burial ground in the village. But the Gram Sabha, the conservator of customary law and traditions, decreed that Subhash cannot be buried in the village burial ground. On 9 January, Ramesh Baghel moved the Chhattisgarh High

Court, which concluded that burial at the village may lead to “unrest and disharmony amongst the public at large” and directed the petitioner to bury his father at the Christian burial ground in Karkapal. The petitioner then appealed the decision in the Supreme Court.

The two judges of the Supreme Court bench which took up the case (Ramesh Baghel vs State Of Chhattisgarh) could not reach a consensus. In the judgment, pronounced on 27 January, Justice B.V. Nagarathna ruled that the body may be buried in the common burial ground of the village while Justice Satish Chandra Sharma said that the burial can take place only in a designated Christian graveyard. But as the body had been lying in a mortuary since January 7, the judges refrained from referring the case to a wider bench and instead chose to direct that the body be buried in the Christian cemetery at Karkapal village, about 20-25 km away from the ancestral village of the deceased.

Those in the know say that the affidavit of the state government, which the top court accepted unquestioningly, was misleading in the sense that Karkapal was 45 km away from the deceased's village and that as per government documents, the

The two judges of the Supreme Court bench which took up the case (Ramesh Baghel vs State Of Chhattisgarh) could not reach a consensus. In the judgment, pronounced on 27 January, Justice B.V. Nagarathna ruled that the body may be buried in the common burial ground of the village while Justice Satish Chandra Sharma said that the burial can take place only in a designated Christian graveyard. But as the body had been lying in a mortuary since January 7, the judges refrained from referring the case to a wider bench and instead chose to direct that the body be buried in the Christian cemetery at Karkapal village, about 20-25 km away from the ancestral village of the deceased.

village did not have a Christian graveyard.

The two judges of the Supreme Court, thus, allowed themselves to be misled. Worse, they also directed the state and its local authorities to demarcate exclusive sites as graveyards for burial of Christians throughout the state. This directive will have nationwide implications.

In fact, this judgment seems to bolster the impression that the non-Hindus and members of the marginalized communities would be treated as second-class citizens in the Hindu Rashtra. It also indirectly mandates that the administration would be required to set up separate crematoriums, graveyards, schools, colleges, roads and hospitals for and assign different professions to the people from the more than 6,000 castes, many religions and communities. This will cause deep divisions in the country.

The fact is that the family members of the deceased faced discrimination and socio-economic boycott because they happen to be Christians. The family have been Christians for the past three generations and their ancestors are buried in the graveyard in the village.

The local Gram Sabha claimed that the village graveyard can only be used for the burial of Hindu Adivasis and not Christians. The incident at Chhindwada reminds one of the barbaric Aryan social order in which the traditional bearers of powers ruled the rural areas, where non-Hindu religions and their ways of worship were banned. Not only were the marginalized communities pushed out of the village borders, but their dead also dug out from their graves and dumped outside the village. At the root of the issue is the Gram Sabha, which has been constituted in keeping with the customary, traditional social order. Ironically, the Gram Sabhas have been constituted under the PESA Act with the objective of re-establishing village republics. The PESA Act cannot override the provisions of clauses 1 and 2 of Article 15 of the Constitution, which say:

1. The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

2. No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to

(a) access to shops, public restaurants, hotels and places of

public entertainment; or

(b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public.

But the PESA Act is being used by the customary Gram Sabhas to violate the fundamental rights of the Dalits, Adivasis and non-Hindus in the Scheduled Areas. They are being denied access to the Public Distribution System. They are not able to get their children admitted to schools and are facing problems in obtaining birth, death, caste and social-status certificates. The objective is to deny them benefits of government public welfare schemes.

There is little doubt that birth-based caste and gender-based discrimination are the pivots of Indian society. Every village is an upper-caste empire and an impregnable fortress of the concept of high and low and caste-based discrimination.

The two judges of the Supreme Court, thus, allowed themselves to be misled. Worse, they also directed the state and its local authorities to demarcate exclusive sites as graveyards for burial of Christians throughout the state. This directive will have nationwide implications.

About 76 years ago, our ancestors had quit their primitive social system and embraced the Indian Constitution, with its democratic underpinnings. But it is ironic that our apex court is still protecting the social beliefs of the Aryan age, and in the name of "preserving public order", is thrusting an unjust segregation on the country.

The Supreme Court decision, by advocating separate facilities for a particular religion and community, will push the non-Hindus and religious minorities further to the margins of society.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.